रजिस्ट्री सं. डी एल—33004/97 REGISTERED NO. DL—33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार 21 जून, 1997 (ज्येष्ठ 31, 1919)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1997 (JYAISTHA 31, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation).

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 21 जून 1997

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ(8) 70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 29 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण में अप्रैल, 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गए सम्बन्धित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुम्बई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व-विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए बिदार(रों) का/नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
			कलकत्ता सर्किल		
			7.25 प्रतिशत आई० एफ० सी० बांड 1966 (द्वितीय श्रृंखला)		
सीए०—000464	रु०० 100000/—	न्यासी, बांगुर ब्रदर्स लि० की भविष्य निधि	27 वां अ० वा० समाप्ति (3—6—95) तक का ब्याज अदा किया गया	न्यासी, बांगुर ब्रादर्स लि० की भविष्य निधि	फाइल सं० 2520, दिनांक 25—4—97 का महा प्रबन्धक का आदेश देखिए दि० 25—4—97 का डीबाई सं० एल० सी० ओ० 210/96—97
			3 प्रतिशत कन्वर्सन लोन 1946		
सीए०—322359	रु० 10000/—	इलाहाबाद बैंक	52 वीं तक का अ० वा० ब्याज अदा किया गया	मैसर्स यूनाइटेड इंजिनियर्स प्रोप्राइटर अनिमेष चौधरी	फाईल सं० 1—2483 दिनांक 29—4—97 का महा प्रबन्धक का आदेश देखिए डी० वाई० सं० एल० सी० ओ० 214/96—97 दि० 29—4—97
सीए० 301645	रु० 1000/—	मेनका राम रक्षित	—वही—	—वही—	—वही—
सीए० 248483	रु० 1000/—	तपेन्द्र चन्द्र घोष	—वही—	—वही—	—वही—
सीए० 269836 से 839	रु० 1000/— प्रति	अशोक कन्स्ट्रक्शन एण्ड कं०	—वही—	—वही—	—वही—
सीए० 275929 से 930	रु० 1000/—	बिमलापति मुखर्जी	50 वीं तक का अ० व० ब्याज अदा किया गया	—वही—	—वही—
सीए० 296371	रु० 1000/—	युनाइटेड इण्डस्ट्रीयल कं०	43 वीं तक का अ० व० ब्याज अदा किया गया	—वही—	—वही—
सीए० 298187	रु० 1000/—	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम जारी की गई	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
		5½ प्रतिशत ऋण 2003 (कलकत्ता सर्कल)			
डीए 012367	5000/-	प्रसाद दास बोरा एण्ड ब्रदर्स	दिनांक 11 नवम्बर 1986 तक का 27वां अ० बा० ब्याज अदा किया गया	मैसर्स के० एल० इन्टरप्राइज	फाईल सं० आई 2522 दिनांक 18 मार्च 1997 का महा प्रबन्धक का आदेश देखिए दिनांक 19 मार्च 1997 का डीवाई सं० एल० सी० ओ० 181/96-97
		9 प्रतिशत राहत पत्र 1987 (नई दिल्ली सर्कल)			
डीएच 003895 से डी एच 003902	रु० 40,00,000	अवतार मोहन सिंह तथा भाई मोहन सिंह	कोई ब्याज देय नहीं	अवतार मोहन सिंह तथा भाई मोहन सिंह	12-3-96 एल० एन० 2/96
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांड 1980 "अ" श्रेणी			
डीएच 000776	81 ग्राम स्वर्ण	अजित सिंह	16-12-65 के के बाद से	अजित सिंह का मुख्त्यारनामाधारक लहम्बर सिंह पुत्र श्री गिञ्जम सिंह	8-2-97 ल० न० 9-96

एल० ए० अहाले,
कृते मुख्य महा प्रबन्धक

स्टेट बैंक आफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय

इन्दौर, दिनांक 14 जून 1997

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के शेयरधारियों की 36वीं वार्षिक सामान्य सभा निम्नलिखित कार्य हेतु रविन्द्र नाट्य गृह, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर पर शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई, 1997 को प्रातः 11.30 बजे (मानक समय) आयोजित की जाएगी :—

> '31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष (1-4-1996 से 31-3-1997) के लिए बैंक का तुलनपत्र व लाभ हानि खाता, इसी वर्ष के लिए बैंक के कामकाज पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना ।

निदेशक मण्डल के आदेश से,
चन्द्र किशोर मेहरोत्रा
प्रबन्ध निदेशक

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

कार्मिक प्रशासन (अधिकारी-कर्मचारी) प्रभाग

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 29 मई 1997

सं. 2/97—बैंककारी कम्पनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 जिसे धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ा जाए, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्वसंस्वीकृति से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पुनः संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नोक्त विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1977 है ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे ।

2. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 (अतःपर मुख्य विनियम के रूप में ज्ञात होने वाले) के विनियम-4 में खण्ड (घ) के उपरान्त "लघु दंड" शीर्षक के अंतर्गत निम्नोक्त खंड अंतर्विष्ट होगा :—

(क) "(ङ) अधिकारी के पेंशन पर एकत्रीभूत प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना वेतन के समय-मा

में अनधिक 3 वर्षों की अवधि हेतु निम्नतर वेतन-स्तर में अवनति;"

(ख) "गुरु दंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड (ङ), (च), (छ) और (ज) को खंड (छ), (ज), (झ) और (ञ) के रूप में पुनः अंकित किया जाए;

(ग) पुनः अंकित खंड (छ) से पहले निम्नोक्त अंश अंतर्विष्ट होगा :—

"(च) वेतन के समय-मान में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर वेतन-स्तर में अवनति हेतु उपर्युक्त (ङ) में कथित को छोड़कर तथा पुनः निदेश सहित, कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान अधिकारी को वेतन-वृद्धि प्राप्त होगी अथवा नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद वेतन-स्तर के इस अवनति के कारण उसके वेतन की भविष्य वेतन-वृद्धियां स्थगित करने संबंधी कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।"

(घ) पुनः अंकित खंड (छ) के लिए निम्नोक्त अंश विकल्प हो सकता है :—

"(छ) निम्नतर श्रेणी या पद पर अवनति।"

3. मुख्य विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में "विनियम 4 के खंड (ङ), (च), (छ) और (ज), शब्दों कोष्ठकों और अंकों" के लिए "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" शब्द, कोष्ठक और अंक विकल्प होंगे।

4. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में "विनियम 4 के खंड (क) से (घ)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए "विनियम 4 के खंड (क) से (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अंक विकल्प होंगे।

5. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) के प्रथम परंतुक में "विनियम 4 के खंड (ङ), (च), (छ) और (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" शब्द, कोष्ठक और अंक विकल्प होंगे।

6. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के प्रथम परंतुक में "विनियम 4 के खंड (ङ), (च), (छ) अथवा (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) अथवा (ञ)" शब्द, कोष्ठक और अंक विकल्प होंगे।

नोट : यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमों में पहले किए गए संशोधन भारत के राजपत्र, भाग-3, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :—

क्रम संख्या, अधिसूचना सं. और तारीख

1. जीएसआर-2/89—23-12-1989।

दीपक कुमार भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 27 मई 1997

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)एपी(1368)/96/483—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एपी०/जी०टी०/27697	मै० वेंकटेश मैमस शापी, 4 लेन बरोदपेट, गुन्टूर—522002।	1-1-96
2.	एपी०/हैं०/28447	मै० महेश इलेक्ट्रिकल व इंजीनियरिंग सर्विस, 5-75 चान्द नगर, हैदराबाद-500138।	1-9-95
3.	एपी०/हैं०/28427	मै० कुमार इलेक्ट्रिकल्स, म० नं० 6-123 चान्द नगर, सेरीलिंगमपेली मुन्सिपैलिटी, हैदराबाद-500137, आर० आर० डि०।	1-10-95
4.	एपी०/बीएपी०/2719	मै० कतियाम लारज साइजड को-आप० क्रेडिट सोसा० लि०, कतियाम, ईस्ट गोदावरी डि०।	1-8-95
5.	एपी०/हैं०/28126	मै० एस० बी० एच० स्टाफ कायम्स को-आप० स्टोर्स, गगनमहल, हैदराबाद-500179।	1-4-95

1	2	3	4
6.	ए०पी०/जी०टी०/27571	मै० कुकापल्ली इंड० ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अदावीनेकलाम, अगीरीपल्ली मंडल, कृष्णा जि० ।	1-6-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं में उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० कल्याणारमन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) ए०पी०/बी०पी०(1304)/95491— केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1	ए०पी०/बी०पी०/26944	मै० दि पालकोडरू कोआपरेटिव रूरल बैंक लि०, पालकोडरू मंडल, पालकोडरू, 534209, वैस्ट गोदावरी ।	1-1-95
2	ए०पी०/बी०पी/26952	मै० कालकुरु प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, नं० 154, डब्लू० जी०, कालकुरु मंडल—534237 ।	1-8-94
3	ए०पी०/बी०पी०/25053	मै० दि वैंकटास्वामी नायडू प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, श्री चिक्काला, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट—534245 ।	1-4-94
4	ए०पी०/बी०पी०/26808	मै० दि नरसापुर प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, जोस्युलावरी स्ट्रीट, नरसापुर, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट—534275।	1-4-94
5.	ए०पी०/बी०पी०/26903	मै० दि पेरुपलम प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि० 442—एफ, पेरुपलम, मोगलटूर मंडल, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट ।	1-12-94
6.	ए०पी०/22945	मै० पोडुरु, मुनेश्वरा बीवर्स कोआपरेटिव सेल्स एण्ड प्रोडक्शन सोसायटीज लि०, डब्लू० जी० 343, पोडरु, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट ।	1-9-93
7.	ए०पी०/बी०पी०/26858	मै० लक्ष्मणेश्वरा प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, लक्ष्मणेश्वरम, नरसापुर एम० डी० एल० एम०), वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट ।	1-10-94
8.	ए०पी०/बी०पी०/26937	मै० दि अकीवीडु कोआपरेटिव रूरल बैंक लि०, 1784, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट सं० 534235	1-9-94

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कल्याणारमन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ०1(4)ए० पी० (1252)/95/501—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाएं :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	ए०पी०/26390	मै० हिन्दुस्तान कंट्रोल्स, 12-1-513/ए/लालापेट, सिकन्दराबाद—500017	1-9-94
2.	ए०पी०/23422	मै० जी० वी० सुरेन्द्रा बाबू, हाउस कीपिंग एण्ड हैन्डलिंग, कान्ट्रेक्टर्स, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, इंडियन बोटलिंग प्लांट, कोंडेपाली—521228	1-10-93
3	ए०पी०/27413	मै० रवि इंजीनियरिंग एन्टरप्राईजिज, 16-2-145/1/3, मालाकपेट, हैदराबाद—500036 ।	1-11-94
4.	ए०पी०/27514	मै० दि गुन्टूर वोमैन को-आपरेटिव अरबन बैंक लि०, गुन्टूर—522003 ।	1-1-95
5	ए०पी०/23538	मै० वसुन्धरा इंजीनियरिंग वर्क्स, डी-10बी, कोलोनी, आईब्राहिमपटनाम—521456, कृष्णा डिस्ट्रीक्ट ।	1-4-94
6.	ए०पी०/23543	मै० पी० रामामोहन राव कांट्रक्टर, साऊदर्न कमर्शियल कोरपोरेशन, नीयर—इस्टर्न कम्पनी गोलापुडी—521225 ।	1-7-94
7.	ए०पी०/26268	मै० श्री साई ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज, प्रोसिसरस ऑफ पोलिश्ड ग्रेनाईट, स्लैब्स, ए-9, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पटनचेरु—502319 ।	1-7-94
8.	ए०पी०/27928	मै० ओक्सीको मेडिटेक (प्रा०) लि०, सी-37 एण्ड 38, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सानाथानागर हैदराबाद—500018 ।	1-10-94
9.	ए०पी०/27931	मै० श्री लक्ष्मी नर्सिंग होम, नं० 53, एच० एम० टी० नगर, नाचोराम, हैदराबाद—501507 ।	1-2-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उन पर उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० कल्याणारमण
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) ए० पं० (1339)/96/512—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	प०बं०/सी०ए०/29944	मै० मैराइन एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, 5, एलेक्जेंडर कोर्ट 60/1, चौरंगी रोड, कलकत्ता—700020 ।	1-3-95
2.	प०बं०/सी०ए०/29886	मै० रबिन दास, ई-सी/21, नार्थ अर्जुनपुर, कलकत्ता—700059 ।	1-3-95
3.	प०बं०/सी०ए०/2989	मै० नार्थ कलकत्ता डीजलस, 106 रोड, कलकत्ता—700035 । बैरकपेले ट्रंक ।	1-4-95
4.	प०बं०/सी०ए०/29896	मै० स्टाफल एण्ड सिसुल (इंडिया) लि०, बैलेगंज, न्यू एयरकंडीशन मार्किट, 46/31/1, गरीघाट रोड, 5वां फ्लोर, कलकत्ता—700029 ।	1-4-95
5.	प०बं०/सी०ए०/29897	मै० कानेज सर्फेस ट्रीटमेंटस, 106/ए/1, गोबिंदा बी० खाटिकों रोड कलकत्ता—70046 ।	1-4-95
6.	प०बं०/सी०ए०/29898	मै० स्वीट होम 6, किरन शंकर राय रोड कलकत्ता—700001 ।	1-4-95
7.	प०बं०/सी०ए०/29445	मै० नवजीवन नर्सिंग होम, (यूनिट लाइफ लाइन नर्सिंग होम) 44 बुक स्ट्रीट, 700016 ।	1-2-95
8.	प०बं/सी०ए०/29947	मै० श्री मा नर्सिंग होम, वि० बपो० टेबरा बाजार मिदनापुर ।	1-2-95
9.	प०बं०/सी०ए०/29948	मै० फ्लोटस, विलेज लाउडा द्वारा क्लोराइड हल्दिया पी० ओ० बालामलीछाला पी० एस० सेंट्रल, डि० मिदनापुर, प० बं०—721602 ।	1-11-92
10.	प०बं०/सी०ए०/29949	मै० फिनिक्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, 408, मारशल हाउस, 25 स्टैण्ड रोड, पो० बा० नं० 633, कलकत्ता—700001 ।	1-1-95
11	प०बं०/सी०ए०/29950	मै० वरूण मीटरस (प्रा०) लि०, 82, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता—700017 ।	1-4-95
12.	प०बं०/सी०ए०/29956	मै० नेशनल फार्मासिटिकलस, 4, सदानंद रोड, कलकत्ता—700026 ।	1-1-95
13.	प०बं०/सी०ए०/29965	मै० प्राडियल सिक्योरटी सर्विस, 6, कर्मासियल बिल्डिंग, 2रा फ्लोर, 23, नेताजी, सुभाष रोड, कलकत्ता—700001 ।	1-2-95

अतः, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उन्हीं प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

आर० कल्याणारमण

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

* पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

मासिक आय प्लान 1997 (2) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 56,620 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है। ट्रस्ट द्वारा अब तक आरंभ किए हुए चौंतीस मासिक आय प्लानों का कार्यनिष्पादन पृष्ठ संख्या 23 पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जी. पी. गुप्ता—अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
2. डा. पी. जे. नायक—कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
3. श्री आर. वी. गुप्ता—उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
4. श्री एस. एच. खान—अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
5. श्री एन. एस. सेकसरिया—प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.।
6. डा. अरविंद वीरमणि—सलाहकार, नीति आयोजना, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।
7. श्री पी. आर. खन्ना—सनदी लेखाकार।
8. श्री एन. एम. गोवर्धन—अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम।
9. श्री पी. जी. काकोडकर—*अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक।
10. श्री एन. वाघुल—अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि.।
11. श्री रशीद जिलानी—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक।

*दि 31-03-1997 से उनकी कार्यावधि समाप्त हो गई है।

मासिक आय योजना 1997 (2) का ब्यौरा [एमआईएस 97 (2)]

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(1) यह योजना मासिक आय योजना 1997 (2) [एमआईएस 97 (2)] कही जाएगी।

(2) यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 जुलाई, 1997 से 30 जून, 2002 तक के लिए होगी।

(3) यूनिटों की बिक्री 24 अप्रैल, 1997 से 7 जून, 1997 तक 45 दिनों के लिए होगी।

बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड 3 के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) "सूचीबद्धता" का अर्थ ओटीसीईआई पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(छ) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में ''सदस्य'' के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों ।

(ज) ''मानसिक विकलांग व्यक्ति'' का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(झ) ''अनिवासी भारतीय (एनआरआई)'' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को ''भारतीय मूल का व्यक्ति'' माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्म हो/जन्मी हो ।

(ञ) ''जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या'' का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ट) ''विदेशी निगमित निकाय'' (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं ।

(ठ) ''व्यक्ति'' में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ड) ''मान्यताप्राप्त शेयर बाजार'' का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(ढ) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ण) ''विनियमावली'' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(त) ''सेबी'' का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(थ) ''समिति'' का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(द) ''ट्रेडिंग'' का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद ओवर द काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओ टीसीईआई) के जरिए यूनिटों का खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है ।

(ध) ''यूनिट'' का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(न) ''यूनिट पूंजी'' का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(प) ''यूनिट ट्रस्ट'' या ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं ।

(ब) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं । इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 13 से पृष्ठ सं. 19 में दिए गए हैं ।

मासिक आय योजना 1997 (2) [एमआईएस'97 (2)] के अंतर्गत बनाये गए मासिक आय प्लान 1997 (2) [एमआईपी' 97 (2)] के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

1. परिभाषाएं :

शब्द जो प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं ।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा ।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं ।

निवासी

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य दो व्यक्तियों के साथ संयुक्त आधार पर ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये कोई व्यक्ति ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय एवं बैंक।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(झ) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां।

अनिवासी द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य दो व्यक्तियों के साथ संयुक्त आधार पर।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जायेंगे।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

दोनों विकल्पों मासिक और पूंजी वृद्धि के अन्तर्गत आवेदन न्यूनतम रु. 2000/- के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। यदि निवेश रु. 10/- के गुणकों में नहीं है तो यूनिटों का आवंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा। रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी। अत्यभिदान, यदि कोई हो, तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा।

यदि 100 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

6. व्ययों पर सीमा

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षा शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(1) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर—2.25%

(2) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर—2.00%

(3) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर—1.75%

(4) आस्तियों के शेष पर—1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, लेखा वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे। सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए गए सीमा के भीतर ही होंगे।

7. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवंटित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किये जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है ।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवंटित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है । उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रुपए 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रुपए 20/- है । इस तरह, ड्राफ्ट रुपए 9,980/- (रुपए 10,000/- में से रुपए 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है । ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा ।

किन्तु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो गए । यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्च पर वापस लौटा दी जाएगी ।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा उसकी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा । इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है ।

(क) विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट ।

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपए में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा खोले गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है । यूनिटों में निवेश रुपए में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो ।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विशेषण किया जाएगा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें ।

(4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उनपर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी ।

तथापि भा. रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए. डी. (एम. ए. श्रृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी ।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा । निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर लाभांश का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें ।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिट जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है : (1) यदि आवेदन रु. 2000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो, (2) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और (3) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख प्रबंध संविधि का यूनिट खरीदने संबंधी संकल्प,

नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी ।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण को वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य को उनके विकल्प के अनुसार सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र (विपणन योग्य लाट में) जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा । प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) प्लान के आरम्भ होने के तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2000 से प्लान के दोनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद आरंभ होगी । योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्ष के दौरान मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से छः माह पश्चात् अर्थात् 01-01-1998 को तथा उसके बाद 30-06-2000 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा । 01-07-2000 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी ।

योजना की परिपक्वता पर यह गारंटी दी जाती है कि पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के सम-मूल्य अर्थात् रु. 10/- से कम नहीं होंगे । तथापि समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी तथा पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित होगा ।

इसको अतिरिक्त, निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभावना है ।

(2) मासिक आय विकल्प :

ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख के तीन वर्ष के बाद से यूनिटों की पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एनएवी पर आधारित होगा और प्लान के प्रारम्भ होने के छः माह के पश्चात् अर्थात् 01-01-98 को तथा उसके पश्चात् 30-06-2000 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए जारी करेगा । 01-07-2000 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी । पुनर्खरीद, सदस्यता सूचना एवं सादे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ जो सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों, एवं अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया गया हो, के साक्ष्य सहित, सदस्यता सूचना/विधिवत् उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, प्रभावी होगी । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रु. 2000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए । पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह सहित तथा उसके बाद के महीनों के बचे हुए शेष अनभुनाए हुए आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे ।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त होने पर भावी महीने के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा ।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारंटों का नया सेट जारी किया जाएगा । पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा । ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे । वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया घोषित आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनःखरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के 10 दिन के भीतर (यदि आवेदन सुव्यवस्थित ढंग से हो) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथालिखित रीति से किया जायेगा ।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) पूंजी वृद्धि विकल्प :

पूंजी वृद्धि विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2000 से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी आधार पर होगा । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा ।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रु. 2000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए ।

(8) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी ।

(क) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी निधियों से जारी चैक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य को राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का वहन सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती हैं या सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जा सकती हैं बशर्ते सदस्य विदेश में रह रहा हो । यदि सदस्य चाहे तो इन राशियों को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है ।

(ख) जब यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी ।

10. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बंदी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पूंजी बंद हो ।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द ''कार्य दिवस'' का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही ।

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा ।

11. सूची बद्धता :

अभिदान बंद होने की तारीख से छः माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट ओटीसीईआई पर सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार ओटीसीईआई में सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा ।

12. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र :

ट्रस्ट आवेदक को सदस्य के विकल्प पर, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र (विपणन योग्य लाट में) जारी करेगा ।

यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है जबकि सदस्यता सूचना नहीं । हालांकि, निवेशक के प्लान में शामिल होने के संबंध में दोनों समान रूप से वैध साक्ष्य हैं । निवेशक, आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर निशान लगा करके सदस्यता सूचना या यूनिट प्रमाणपत्र में से कोई एक प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं । सामान्यतया, ऐसे निवेशक जो योजना के सूचीबद्ध होने पर शेयर बाजारों में लेन-देन करना चाहते हैं वे यूनिट प्रमाणपत्र हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं । तथापि, यदि आवेदन पत्र में कोई वरीयता न दी गई हो तो निवेशक को सदस्यता सूचना भेजी जाएगी ।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

13. सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होगी ।

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र

वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो ।

किन्तु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाण पत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण-पत्र भी वैध होंगे ।

14. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनियम और सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

यूनिट प्रमाणपत्र

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक :—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता ।

(2) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता ।

(3) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र के मामले में), ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सदभावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तर-दायित्व नहीं लेगा ।

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक उसको द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपये का भुगतान करे । साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा ।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे ।

15. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन के रूप में होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी ।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य द्वारा उसके स्वयं के निवेश के संबंध में निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

16. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिये किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1ग) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । तदनुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की

क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

17. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

18. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है । आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं । अवयस्क तथा अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं । प्लान के चालू रहने की दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है ।

(2) सदस्यों को, नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे ।

19. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हितधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वारे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

(8) अ-निवासी सदस्य (सदस्यों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का विप्रेषण अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस/वारिसों को किया जा सकता है बशर्ते :

(क) यूनिट भारत के बाहर से विप्रेषित निधि में से, भारत में अ-निवासी (ह) खाते में धारित निधि में से अथवा एफसीएनआर जमा-राशि में से खरीदी गई हों और

(ख) नामिती भारत के बाहर निवास कर रहा हो/विधिक वारिस भारत के बाहर रहता हो/रहते हों । जहां यूनिट एनआरओ खातों में धारित निधि से खरीदी गई हों, वहां अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस (वारिसों) के मामले में, पुनर्खरीद राशि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी । जहां नामिती नामांकन के समय निवासी था परन्तु बाद में अ-निवासी बन गया हो, ऐसे खातों के मामले में, राशि के विप्रेषण की विधि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की राय लेनी होगी ।

20. आय वितरण एवं पूंजी वृद्धि विकल्प :

सदस्य को मासिक आय या पूंजी वृद्धि में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार किया गया विकल्प अंतिम होगा। आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा ।

प्लान के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतिलाभ एवं परिपक्वता पर निवेशित पूंजी की सुरक्षा की गारंटी ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि द्वारा दी गई है ।

योजना एवं उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधान दोनों विकल्पों के लिए लागू होंगे और जहां प्रावधानों में हेरफेर है, वहां संबंधित ब्यौरे तदनुसार दिए गए हैं ।

(1) मासिक आय विकल्प :

इस विकल्प के अंतर्गत, ट्रस्ट 14% प्र.व. की दर से सुनिश्चित लाभांश प्लान के पांचों वर्षों के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करेगा ।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा सिक्योरिटी से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को प्लान के अंतर्गत 14% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से देय लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी ।

(2) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारम्भ में देय होगा और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाएगा ।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे ।

लाभांश की हकदारी निम्न रूप से होगी :

24-04-1997 से 30-04-1997—आधे महीने का लाभांश

01-05-1997 से 15-05-1997—पूरे महीने का लाभांश

16-05-1997 से 31-05-1997—आधे महीने का लाभांश

01-06-1997 से 07-06-1997—पूरे महीने का लाभांश

निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 30 सितम्बर, 1997 तक की अवधि के लिए एक आय वितरण वारंट (दिनांकित 1 अगस्त, 1997) अक्तूबर, 1997 से मार्च, 1998 की अवधि हेतु 6 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंट सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ भेज दिए जाएंगे ।

उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण वारंट, कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए, प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा और उसे अग्रिम रूप से भेजा जाएगा । उसके बाद के वर्षों के लिए वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

अवधि	वारंटों का प्रेषण
01-04-1998 से 31-03-1999	मार्च-अप्रैल 1998 तक
01-04-1999 से 31-03-2000	मार्च-अप्रैल 1999 तक
01-04-2000 से 31-03-2001	मार्च-अप्रैल 2000 तक
01-04-2001 से 31-03-2002	मार्च-अप्रैल 2001 तक
01-04-2002 से 30-06-2002	मार्च-अप्रैल 2002 तक

प्रत्येक वर्ष माह मार्च के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख 31 मार्च होगी ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारंट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे ।

वारंट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारंट को भुना सके । हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा । वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में अवत्त वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में वैध वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारंट वापस करने के लिए बाध्य होगा ।

तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे । लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या/और मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूंजी वृद्धि विकल्प

इस विकल्प के अंतर्गत कोई लाभांश विसरित नहीं किया जाएगा । प्रतिलाभ 14.93% प्र. व. की दर से संचयित किया जाएगा ताकि इस विकल्प के अंतर्गत निवेशित रुपए 2000/-, पांच वर्षों के बाद प्रतिदान के समय कम से कम रुपए 4012/- हो जाए । तथापि, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए मासिक आय विकल्प के अंतर्गत सदस्यों को लाग सीमा तक, निवेशक को 14% प्र. व. की दर से 30 जून, 1997 तक मुआवजा दिया जाएगा और उसे चैक के माध्यम से यूनिट प्रमाणपत्रों/सदस्यता सूचना के साथ भेजा जाएगा ।

प्लान के अंतर्गत 14% प्र. व. का प्रतिलाभ उचित ठहराने के लिए उदाहरण

मान लीजिए कि यह योजना 100 करोड़ रुपए एकत्रित करती है। आरम्भिक व्यय 3% है और उन्हें 3 वर्षों की अवधि के पश्चात् बट्टे खाते में डाला है (यह इसलिए कि 3 वर्षों के बाद पुनर्खरीद शुरू हो जाती है) पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधियां 97 करोड़ रुपए होंगी।

निधि का 90% ऋण लिखतों में और 10% इक्विटी एवं मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करेगी।

योजना डिबेंचरों/बाण्डों में निवेश करेगी और जोखिम तत्व न्यून से मध्यम रहेगा। इन लिखतों पर परिपक्वता पर लाभ (वाई टी एम) 16.8% से 19.0% की श्रेणी में है इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों पर भारित औसत प्रतिलाभ 17.75% होगा।

लाभांश आय, इक्विटी निवेश में वृद्धि/ह्रास और मुद्रा बाजार लिखतों पर लाभ लगभग 8% रहेगा।

लिखत	पोर्टफोलियो का %	निवेश योग्य निधियां	वाई टी एम% (परिपक्वता पर लाभ)
डिबेंचर/बॉण्ड	90	87.30	17.75
इक्विटी/मु०बा० लिखतें	10	9.70	8.00
पोर्टफोलियो का भारित औसत प्रतिलाभ	=	$\frac{87.3*17.75+9.70*8.0}{100.00}$	= 16.27%

वार्षिक व्यय 1% लेते हुए, वितरण के लिए उपलब्ध आय 15.27% होगी। यह 14% प्र. व. की दर से मासिक आधार पर देय लाभांश और 14.93% वार्षिकीकृत प्रतिलाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी।

उपरोक्त उदाहरण स्वरूप है और प्लान के आरम्भ होने के समय मौजूद बाजार की स्थितियों पर आधारित है।

निवेशकों का बैंक विवरण :

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा :

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिए एक नई अवधारणा इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आरम्भ की है जिसमें कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाए और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। इस द्वारा यह सफल रूप से चार महानगरों अर्थात् कलकत्ता/चैन्नई/मुम्बई/नई दिल्ली में ऐसे निवेशकों की सहायता करने हेतु आरम्भ किया गया है जिनकी लाभांश से होने वाली आय एक एकल लिखत के अनुसार रुपए 25,000/- से कम है।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ईसीएस हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करें। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में लाभांश की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी तथा लाभांश वारण्ट के मुद्रण एवं प्रेषण संबंधी कार्य नहीं रहेंगे और वह निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। बैंक शाखा सदस्य के खाते में क्रेडिट करेगी तथा पास-बुक/खाता विवरण में क्रेडिट प्रविष्टि को "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नंबर 9 अंकों वाला बैंक एवं शाखा कोड संख्या इत्यादि भरें। यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" से संबंधित लाभांश का भुगतान करने के बजाए ट्रस्ट उपरोक्तानुसार लाभांश वारण्ट जारी करके लाभांश की अदायगी कर सकता है।

आय वितरण वारण्टों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारण्ट इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया उसके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारण्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारण्ट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत लाभांश मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। लाभांश के प्रत्यावर्तन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) वारण्ट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे विकल्पदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो।

अथवा

(2) वारण्ट किसी ऐसे विकल्पदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा

जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके ।

मासिक आय योजना 1997 (2) [एमआईएस'97 (2)] का ब्यौरा जारी

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है ।

(2) उधृत निवेशों और बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत/गैर-व्यापारिक इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण और बही मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर अथवा बही-मूल्य पर जो भी कम हो, किया जाता है ।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बाण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(5) अनोधृत वारण्ट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्राथमिक मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं । जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्राथमिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारण्टों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) बोनस/अधिकार पात्रता को पूर्व-बोनस/पूर्व-राइट्स तिथियों को लिया जाता है ।

(7) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां भिन्न बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काट कर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन, परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(8) (क) काल मनी में निवेश, बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत धारित बिल, बैंकों में अल्पावधि जमा राशियों और आरबीआई में किया गया रिपोज लागत पर लिए जाते हैं ।

(ख) अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन ऐसे भाव पर किया जाएगा, जिस भाव पर पिछली बार लिखत का व्यापार हुआ था । इस प्रयोजन हेतु ऐसा व्यापार जो दो कार्य-दिवसों से अधिक के लिए न हो वैध माना जाएगा । जब पिछले दो कार्य-दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो तब लिखत का मूल्यांकन लागत और अंकित मूल्य एवं शेष परिपक्वता पर समान रूप से लागू की गई लागत का अंतर तथा जहां लागू हो, दिन के आरम्भ होने तक प्रोद्भूत ब्याज का जोड़ कर किया जाता है ।

(9) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित बाजार दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाएगा ।

(10) उपरोक्त पैरा (1) से (9) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प और पूंजी वृद्धि विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा । प्लान के आरम्भ होने के छः माह के बाद अर्थात् 01-01-1998 को और उसके बाद मासिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।

5. (क) निवेश उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यतः ग्राहक को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है ।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारम्भिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(1) निधियों का कम से कम 80% नियत आय प्रतिभूतियों एवं मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा । निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा ।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा । जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च हो सकता है ।

(3) मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश, इस संबंध में सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा ।

पूर्वोक्त के बावजूद बाजार की स्थितियों/निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार निवेश का अनुपात तथा प्लान के दोनों विकल्पों के अंतर्गत संग्रहीत बिक्री का प्लान के अंतर्गत कुल बिक्री से अनुपात घट-बढ़ सकता है ।

ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किए जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है ।

(क) निवेश नीतियां

(1) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा बशर्ते यदि ऋण-लिखत का निधारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे ।

(3) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फण्ड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तर-योजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश म्यूचुअल फण्ड के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो ।

(5) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला में लिप्त होना पड़े ।

(6) जब भी निवेश दीर्घावधि प्रकृति के होने वाले हों, ट्रस्ट योजना की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा ।

(7) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को लाभांश अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी ।

परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों । यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी । यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करती है । इसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है ।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड 3, 4 और 5 (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा ।

(घ) प्लान में गैर-अंतरणीय आस्तियों का अंतरण :

नई सात वर्षीय मासिक आय यूनिट योजना वार्षिक बोनस और वृद्धि सहित 1990 (एमआईएसजी 90) के निवेशकों जिनके निवेश 01-05-97 एवं 01-06-97 को परिपक्व हो रहे हैं अपनी मोचन राशि को अपने विकल्प पर इस प्लान में निवेश करने की अनुमति होगी ।

खण्ड 5 (ख) एवं (ग) में किसी बात के बावजूद योजना में ऐसी गैर-अंतरणीय/अवर्जा निधारित/असूचीबद्ध आस्तियां, जिनकी असमाप्त अवरुद्धता अवधि 3 वर्ष से कम है, उस सीमा तक रहेगी जिस सीमा तक निधियां इस प्लान में स्विच-ओवर की जाती हैं और ऐसी आस्तियों की मात्रा किसी भी तरह प्लान में स्विच ओवर की गई निधियों से अधिक नहीं होगी ।

अंतरण का आधार :

कोई गैर-निष्पादी आस्ति प्लान में अंतरित नहीं की जाएगी । गैर-अंतरणीय/अनोधृत आस्तियां जो उक्त योजनाओं से इस प्लान में अंतरित की जा सकेंगी, उन्हें स्विच ओवर की गई निधियों की सीमा निभर रहते हुए सुनिश्चित किया जाएगा ।

आस्तियों का मूल्यांकन :

अहस्तांतरणीय आस्तियों का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार लागत पर किया जाएगा । अन्य आस्तियों का मूल्यांकन योजना के खंड 3 के अनुसार होगा ।

6. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है । ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिए आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदन के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

7. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशन होंगी :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाण-पत्र (सदस्य सूचना नहीं) परक्राम्य हैं और जैसा कि

इस प्लान के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है ।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखने वाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा ।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण फार्म सहित और तब अनभुनाए गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्ट्रार में दाखिल करने तक अंतरण कर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा ।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखित और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझे, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे ।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लाभांश वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा ।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर, उनकी पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करायेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही पोर्टफोलियो विवरण पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित भेजेगा। ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो। ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी ।

किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए तीन-चौथाई से अधिक सदस्यों की सहमति ली जाए :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है ।

व्याख्या : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य, तथा योजना की शर्तें ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) प्लान 30-06-2002 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों को पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी । निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वे पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सकें ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 जून, 2002 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख को समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन से कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी ।

(च) (1) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (ङ) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गई है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(ट) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

(1) जब यूनिटों की खरीद विदेशी मुद्रा में की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती है ।

(2) जब यूनिटों की खरीद के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में संबंधी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

पंजीकृत दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

16. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपबंधित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों ।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(1) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या

(2) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो,

(3) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए; या,

(4) जब कोई परिवर्तन योजना के क्लाज 11 में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और व्यय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए ।

कर मार्गदर्शक

कर नियामक

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार 'एमआईपी-97 (2)' सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी के जरिए की गई हो, व्यक्तियों एवं एचयूएफ को लाभांश द्वारा हुई आय से हो) को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अधिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धन-कर से मुक्त है ।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अधिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमआईपी-97 (2) में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/शिरबीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्षों के बाद किया/जाए/रखे जाएं ।

पात्र दस्तों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 (2) (बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

स्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194क के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के मासिक आय विकल्प के अंतर्गत यथोचित सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो ।

इसी प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर 15% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

अनिवासी

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196क को अनिवासी भारतीय द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार गुएई में रहने वाले अनिवासी सदस्यों

को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ खाता है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी ।

कर कटौती नहीं

निवासी :

सदस्य (कम्पनी या फर्म को छोड़कर) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर 'शून्य' होगा । स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा (22ए) अथवा 10 (23) अथवा 10 (23एए) अथवा 10 (23सी) के अंतर्गत आने वाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उन पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

अनिवासी :

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है ।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही लाभांश की राशि कितनी भी हो ।

आय कर/धन कर/उपहार कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों/ओसीबी/एफआईआई द्वारा किए गए निवेशों के संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिजर्व बैंक के निदेशों और अनुमतियों के अनुरूप है ।

सदस्यों के अधिकार :

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है ।
2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।
3. सदस्यों को 'निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज' शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक व्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा ।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस के कपूर एण्ड कं 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन है ।

निवेशकों की शिकायतें

01-02-96 से 31-01-97 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :—

अनुबन्ध 1

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	2553	2428	125	4.90%
जीजीजीएफ	18132	17704	428	2.36%
जीजीएस-83	16848	16449	399	2.37%
जीजीयूएस-91	4795	4722	73	1.52%
जीआरटीएस	184	140	44	23.91%
जीआईयूपी-93	414	403	11	2.66%

1	2	3	4	5
डीआईपी–95	967	947	20	2.07%
डीआईएस–90	1829	1806	23	1.26%
डीआईएस–91	3671	3620	51	1.39%
डीआईयूएस–92	2218	2101	27	1.22%
ईओएफ	760	757	3	0.39%
जीडीजीआई	10784	10579	205	1.90%
जीएमआईएस–91	13165	10880	2285	17.36%
जीएमआईएस–92	3209	2984	225	7.01%
जीएमआईएस–92 (II)	788	776	12	1.52%
जीएमआईएस–बी–92	254	250	4	1.57%
जीएमआईएस–बी–92(II)	2136	2074	62	2.90%
ग्रैण्ड मास्टर–93	829	807	22	2.65%
जीयूपी–94	1493	1447	46	3.08%
एचयूएस	248	210	38	15.32%
आईआईएसएफयूएस	4	4	0	0.00%
मास्टर गेम–92	43608	41992	1616	3.71%
मास्टर ग्रोथ –93	2314	2226	88	3.80%
मास्टर प्लस–91	10612	10527	85	0.80%
मास्टर शेयर–86	15801	14462	1339	8.47%
एमईपी–91	4401	4105	206	4.68%
एमईपी–92	36357	34932	1425	3.92%
एमईपी–93	24484	23747	737	3.01%
एमईपी–94	8229	8147	82	1.00%
एमईपी–95	13549	13384	165	1.22%
एमईपी–96	4351	4307	44	1.01%
एमआईपी–93	2422	2399	23	0.95%
एमआईपी–94(I)	2454	2313	141	5.75%
एमआईपी–94 (II)	4247	4146	101	2.38%
एमआईपी- 94 (III)	6459	6171	288	4.46%
एमआईपी–95	3230	3144	86	2.66%
एमआईपी–95 (II)	4101	3770	331	8.07%
एमआईपी–95 (III)	3040	2913	127	4.18%
एमआईपी–96	2431	2391	40	1.65%
एमआईपी–96 (II)	2845	2782	63	2.21%
एमआईपी–96 (III)	2770	2414	300	12.00%
एमआईपी–96 (IV)	347	337	10	2.88%
एमआईएस–बी–93	3992	3890	102	2.56%
एमआईएसजी–90 (I)	218	173	45	20.64%
एमआईएस–जी–90 (II)	1708	1665	43	2.52%
एमआईएसजी–91	2265	2219	46	2.03%
ओमनी–प्लान	44	36	8	18.18%

1	2	3	4	5
पीईएफ	442	334	108	24.43%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	7689	7332	357	4.64%
आरबीपी	2292	2219	73	3.18%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1161	1106	55	4.74%
यूजीएस–2000	10857	9674	1183	10.90%
यूजीएस–5000	5966	5767	199	3.34%
यूलिप	12369	11134	1235	9.98%
यूएस–64	180943	166153	14790	8.17%
यूएस–92	7358	7355	3	0.04%
कुल	520637	490934	29703	5.71%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :—

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अन्तरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जी डी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुंबई-400005
टेली : 2180172/2181600

पूर्वी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700001
टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यू टी आई हाउस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600001
टेली : 517101 विस्तारीत : 360/364

उत्तरी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेराल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली110002
टेली : 3329860

रजिस्ट्रार

यू टी आई इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचनाओं/यूनिट प्रमाणपत्रों एवं लाभांश वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है ।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित चार प्रमुख शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल रोड, मरोल मरोशी बस स्थानक के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059 ।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, 1ली मंजिल, पो. बैग नं. 60, कलकत्ता-700001 ।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सय्यद बिल्डिंग, 45 दूसरी लाइन बीच, चेन्नई-600001 ।

उत्तर अंचल : संज बिल्डिंग, 3री मंजिल, 8 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020 में उपलब्ध रहेंगे :

* यू टी आई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
* पेशकश दस्तावेज एम आई पी 97 (2) की प्रति

यूटीआई के पिछले पांच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एमआईपी '96	एमआईपी '96(II)	एमआईपी '96(III)	एमआईपी '96(IV)	एमआईपी '97
आरंभ होने की तिथि	01.05.1996	01.07.1996	01.10.1996	01.01.1997	01.05.1997
समाप्ति की तिथि	30.04.2001	30.06.2001	30.09.2001	31.12.2001	30.04.2001
मासिक लाभांश	पहले वर्ष के लिए 14.5% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०	पांच वर्षों के लिए 14% प्र०व०
संचयी विकल्प	—	—	—	—	रु० 2000/- कम से कम रु० 4012/- मिलते हैं
संग्रह की गई राशि	रु० 229.05 करोड़	रु० 371.27 करोड़	रु० 376.08 करोड़	रु० 827.38 करोड़	*रु० 1013.43 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या	97,008	1,50,967	1,37,819	3,26,839	*2,67,243

*दिनांक 09.04.1997 तक

सारणी

क्र०सं०	प्लान	वार्षिक लाभांश प्रदत्त/देय मासिक	परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि (%) आश्वासित	वास्तविक	बोनस (%) प्रदत्त/देय
1	2	3	4	5	6
परिपक्व योजनाएं					
1.	एमआईएस-1	12% प्र०व०	—	6	—
2.	एमआईएस-2	12% प्र०व०	—	7	—
3.	एमआईएस-3	12% प्र०व०	—	8	—
4.	एमआईएस-4	12% प्र०व०	—	8	—
5.	एमआईएस-5	12% प्र०व०	—	10	—
6.	एमआईएस-6	12% प्र०व०	3	5.5	1.5
7.	एमआईएस-7	12% प्र०व०	2	6	1.5
8.	एमआईएस-8	12% प्र०व०	2	7	1.5
9.	एमआईएस-9	12% प्र०व०	2	9	1.75
10.	एमआईएस-10	12% प्र०व०	2	9	2.00
11.	एमआईएस-11	12% प्र०व०	2	11	2.25
12.	एमआईएस-12	12% प्र०व०	2	28	2.25
13.	एमआईएस-13	12% प्र०व०	2	40	3.00
14.	जीएमआईएस-92	-नहीं-	-नहीं-	7.6	—
प्रचलित योजनाएं					
15.	एमआईएसजी '90	12% प्र०व०	—	8	1%, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर देय
16.	एमआईएसजी '90 (II)	13% प्र०व०	—	—	20%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 2% बोनस 5 वें वर्ष की समाप्ति पर घोषित

1	2	3	4	5	6
17.	एम आईएसजी/91	13% प्र०व०	—	—	3%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 3% बोनस लाभांश 6वें वर्ष की समाप्ति पर देय।
18.	जीएमआईएस/91	14.5% प्र०व० पहले 3 वर्षों के लिए और 15% प्र०व० अंतिम 2 वर्षों के लिए	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यूनतम 2%	3.7%	—
			संचयी विकल्प	1.7%	—
	31.12.2001 तक सरोल बोनस				
19.	जीएमआईएस/92(II)	—वही—	—वही—	—	—
20.	जीएमआईएसबी/92	—वही—	—वही—	—	2 प्रतिशत बोनस लाभांश घोषित और परिपक्वता पर देय
21.	जीएमआईएसबी/92 (II)	14 प्रतिशत प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिए और 14.5% प्र० व० अंतिम 3 वर्षों के लिए	—वही—	—	2 प्रतिशत 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और परिपक्वता पर देय
22.	एम आई एस बी/93	14 प्रतिशत प्र० व०	—वही—	—	3रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया।
23.	एम आई पी/93	13.5 प्रतिशत प्र० व०	—वही—	—	3रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया। 4थे वर्ष की समाप्ति पर बोनस घोषित किया जा सकता है और वह परिपक्वता पर देय होगा।
24.	एम आई पी/94	पहले 2 वर्षों के लिए अर्थात फरवरी 96 तक 13 प्रतिशत प्र० व० और मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत 13.5 प्रतिशत प्र० व० की दर से और संचयी विकल्प के अन्तर्गत 1-3-96 से 28-2-98 के लिए 14 प्रतिशत प्र० व० की दर से	—	—	—
25.	एम आई पी/94 (II)	13 प्रतिशत प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय 14 प्रतिशत प्र० व० अगले दो वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय			
26.	एम आई पी/94 (III)	12 प्रतिशत प्र० व० 1ले वर्ष के लिए और 13 प्रतिशत प्र० व० 2रे वर्ष के लिए देय*			
	1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए 13 प्रतिशत प्र० व०				
	1-4-1997 से 31-3-98 तक के लिए 13 प्रतिशत				
27.	एम आई पी/95	13 प्रतिशत प्र० व० 1ले वर्ष के लिए *14 प्रतिशत प्र० व० दूसरे वर्ष के लिए			
	1-7-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 14 प्रतिशत				
28.	एम आई पी/95 (II)	13.5 प्रतिशत प्र० व० 1ले वर्ष के लिए 14 प्रतिशत प्र० व० दूसरे वर्ष के लिए*			
	1-4-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 14 प्रतिशत				

1	2	3	4	5	6
29.	एम आई पी/95 (III)	14 प्रतिशत प्र० ब० 1ले वर्ष के लिए 1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए 14 प्रतिशत 1-4-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 14 प्रतिशत			
30.	एम आई पी/96	14.5 प्रतिशत प्र० ब० 1ले वर्ष के लिए 1-3-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 14.5 प्रतिशत			
31.	एम आई पी/96 (II)	15 प्रतिशत प्र० ब० 1ले वर्ष के लिए 1-7-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 15 प्रतिशत			
32.	एम आई पी/96 (III)	15 प्रतिशत प्र० ब० 1ले वर्ष के लिए 1-10-1997 से 31-3-1998 तक के लिए 15 प्रतिशत			
33.	एम आई पी/96 (IV)	15 प्रतिशत प्र० ब० 1ले वर्ष के लिए* 1-1-1998 से 31-3-1998 तक के लिए 15 प्रतिशत			
34.	एम आई पी/97	14 प्रतिशत प्र० ब० सभी 5 वर्षों के लिए			

*बाद के वर्षों के लिए लाभांश दर पिछले वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले घोषित की जाएगी।

पूर्ववर्ती आंकड़े—मासिक आय योजनाएं

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993–94						
	एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएस बी 92 पूल	एमआईएस बी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआई पी 94(II)
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त							
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55	0.05
(ii) निवेशों के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	3.26	0.00	0.35	0.00	0.10	0.00	0.00
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट							
(ग) कुल व्यय अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97	0.49	0.02
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	-0.12	0.80	1.71	1.00	0.86	0.04	0.09
(छ) बाजार मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
पुनर्खरीद मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
बिक्री मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
लाभ उपार्जन अनुपात							
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57	0.35
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतर को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	5.43	1.42
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10

पूर्ववर्ती आंकड़े—मासिक आय योजनाएं

पूर्ववर्ती आंकड़े	1994–95							
	एमआईएस जी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएसबी 92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94(III)	एमआईपी 95
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त;								
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.40	1.72	1.64	1.34	0.96	0.67	0.17	0.06
(ii) निवेश के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	—	0.03	0.17	0.08	—	—	0.03	—
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.04	0.05	—	—	0.01	0.01	−0.03	—
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट								
(ग) कुल व्यय अपलिखित, परिशोधन एवं भार, प्रति यूनिट	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	0.10	0.05
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास प्रति यूनिट	0.28	1.00	0.05	0.27	−0.42	−0.40	−0.44	0.02
(च) बाजार मूल्य								
उच्चतम								
न्यूनतम								
पुनर्खरीद मूल्य								
उच्चतम								
न्यूनतम								
बिक्री मूल्य								
उच्चतम								
न्यूनतम								
लाभ उपार्जन अनुपात								
(छ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0346	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतर को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	15.49	21.51	16.06	15.47	9.73	2.84	−3.67	0.42
(झ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

पूर्ववर्ती आंकड़े—

1995—

पूर्ववर्ती आंकड़े	एम०आई०एस०जी०90 पूल	जी०एम०आई०एस० 92 पूल	जीएम०आई०एस०बी०92 पूल	एम०आई०एस०बी०93 पूल
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति यूनिट	10.69	13.95	12.57	11.44
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त				
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.40	1.74	1.65	1.45
(ii) निवेश के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	--	0.05	0.10	0.02
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.06	0.51	0.12	0.03
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट			0.04	
(ग) कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.04	0.07	0.07	0.07
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.43	2.22	1.84	1.43
(ङ) निवेश के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.26	0.72	0.41	0.46
(च) बाजार मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
पुनर्खरीद मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
बिक्री मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
लाभ उपार्जन				
(छ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.34	0.54	0.60	0.60
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	15.82	22.39	19.30	17.09
(झ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.89	13.95	12.57	11.44

मासिक आय योजना

96

एम०आई०पी० 94	एम०आई०पी० 94 (II)	एम० आई०पी० 94 (III)	एम०आई०पी० 95	एम०आई०पी० 94 (II)	एम०आई०पी० 95 (III)	एम०आई०पी० 96	एम०आई०पी० 96 (II)
10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
1.60	1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
0.11	0.01	0.02	--	--	0.01	0.01	--
0.08	0.08	0.03	0.02	0.11	0.02	--	--
(--)0.01							
0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
1.70	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
0.39	(—)0.42	(--)0.40	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07
0.80	0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
17.55	12.61	13.06	14.33	16.07	15.21	6.89	1.16
10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96

पूर्ववर्ती आंकड़े

	पूर्ववर्ती आंकड़े	एम०आई०एस०जी० 90 पूल	जी०एम०आई०एस० पूल	जी०एम०आई०एस०बी० 92 पूल	ए०आई०एस०बी० 93 पूल	01-07-1996 से एम०आई०पी० 94	एम०आई०पी० 94 (II)
(क)	शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति यूनिट	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58
(ख)	सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त :-						
(i)	निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट आय, प्रति यूनिट	0.69	1.67	0.84	0.62	0.47	0.41
(ii)	निवेश के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	—	0.30	0.01	—	—	—
(iii)	तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.01	0.34	—	0.01	0.02	0.03
(iv)	पिछले वर्ष के अतिरिक्त से राजस्व लेखे में अंतर, प्रति यूनिट	0.04		0.05		0.10	0.17
(ग)	कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03
(घ)	शुद्ध आय, प्रति यूनिट	0.71	2.24	0.86	0.59	0.55	0.58
(ङ)	निवेश के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	−0.01	0.09	0.02	−0.05	−0.58	−0.70
(छ)	बाजार मूल्य उच्चतम न्यूनतम पुनर्खरीद मूल्य उच्चतम न्यूनतम बिक्री मूल्य उच्चतम न्यूनतम लाभ उपार्जन अनुपात						
(ज)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.21	0.64	0.29	0.30	0.35	0.38
(झ)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	6.78	18.24	7.63	5.69	5.84	6.39
(ञ)	प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58

मासिक आय योजनाएं

31-12-1996 तक

एम०आई०पी० 94 (III)	एम०आई०पी० 95	एम० आई०पी० 95 (II)	एम०आई०पी० 95(III)	एम०आई०पी० 96	एम०आई०पी० 96 (II)	एम०आई०पी० 95 (III)	एम०आई०पी० 95 (IV)
9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.90	10.09
0.41	0.72	0.74	0.72	0.66	0.51	0.31	0.1
—	—	—	0.02	0.02	—	—	—
0.03	-0.02	0.03	0.04	-0.02	-0.02	—	—
0.13							
0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.01
0.34	0.67	0.72	0.73	0.61	0.44	0.27	0.08
-0.74	—	0.44	0.50	0.43	0.44	0.27	—
0.34	0.29	0.44	0.45	0.51	0.50	0.37	0.15
6.04	6.81	11.18	10.56	9.54	8.70	11.52	2.06
9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2068468 ।

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860/3329858 ।

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय

कामर्स सेंटर-1, 29वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, दूरध्वनि : 2181600/2180057 ।

शाखाएं, जहां आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043, बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना, कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल-1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308 इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, मुंबई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995 (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूरध्वनि : 7672607 (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बोरिवली (पश्चिम, मुंबई-400092, दूरध्वनि : 802521 822, (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि : 8020521 (5) सागर नोनाजा, पहली मंजिल, कांत लेन, घाटकोपर (पश्चिम) मुंबई-400086, दूरध्वनि : 5162256, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315* नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्स्वे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893, नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 72166, पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472, पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954, राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : सैफी बिल्डिंग, ऊंच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550, ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.)-400601, दूरध्वनि : 5400905 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003, दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्वीन्स रोड, अमृतसर-143001, दूरध्वनि : 210367, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017, दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 26720, फरीदाबाद : बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 210010, गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिहानी गेट के समीप, गाजियाबाद-201001, दूरध्वनि : 752040, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहुम पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि : 3318638, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, 9 जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेंन्ट स्टोर के ऊपर, शिमला-171002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी-58/2ए 1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 54306 ।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, केम्पेगौडा रोड, बंगलोर-560009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कलबर्गी मैंशन, 4थी मंजिल, लैमिंगटन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500001, दूरध्वनि : 511095, चेन्नई : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101, मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परन-कुन्द्रम रोड, मदुराई-625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड तिरुअनंतपुरम-695001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि :

331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434, विशाखापट्टनम् : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि 548121 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल 24, जनपथ, रत्नाखैला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001 दूरध्वनि : 410995, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, ग्राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 24671 ।

दिनांक 19 मई 1997

सं. यूटी/डीडीडीएम/एसपीबी-89-बी/आर-1025/96-97- भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आइ आइ एस एफ यू एस '97) का पेशकश दस्तावेज, जिसे 12 मार्च, 1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट

योजना 1997 (आइ आइ एस एफ यू एस '97)

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 15 अप्रैल, 1997 से 29 मई, 1997 तक खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यूटीआइ के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसार में बनायी गयी है ।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फण्ड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीन आयोन्मुख योजना है, जिसमें एन ए वी आधारित मूल्य पर योजना से निर्गम किया जा सकता है । यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जिन्हें कि विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना चाहते हैं ।

विशेषताएं

* न्यूनतम निवेश दस लाख रुपए और अधिकतम कोई सीमा नहीं । यूनिटों का अंकित मूल्य 10/- रुपए है ।

* यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित पात्र न्यासों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, अन्य किन्हीं निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फण्ड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कम्पनियों को शामिल करते हुए) सरकारी उपक्रमों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए खुला है ।

* ट्रस्ट योजना के सभी पांचों वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर देय 15% की दर से सुनिश्चित लाभांश अदा करेगा । आशयित प्रतिलाभ देने में कोई कमी पड़ने की स्थिति में उसे विकास प्रारक्षित निधि से पूरा किया जाएगा ।

* प्रचलित एन ए वी पर (बिना किसी बिक्री भार के) लाभांश का पुनर्निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है ।

* योजना की यूनिट योजना के आरम्भ होने की तिथि से छः महीनों के भीतर ओ टी सी इं आइ पर सूची-बद्ध की जाएगी ।

* पुनर्खरीद की अनुमति योजना के आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2000 से एन ए वी आधारित मूल्य पर होगी ।

* यह गारन्टी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का विमोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा । समयपूर्व पुनर्खरीद की कोई गारन्टी नहीं दी जाती है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एन ए वी पर आधारित होगा ।

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ई ए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट ।

जोखिम के तत्व

* समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने की कोई गारन्टी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एन ए वी पर आधारित होगा ।

* योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है ।

* ट्रस्ट के पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्य निष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है ।

* संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी-पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

* ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 56,620 करोड़ रुपए की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

यू टी आई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1964 से काम करना आरम्भ किया था ।

यू टी आई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है । बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जी. पी. गुप्ता—अध्यक्ष,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डा. पी. जे. नायक—कार्यपालक न्यासी,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री आर. वी. गुप्ता—उप गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस. एच. खान—अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन. एस. सेखसरिया—प्रबंध निदेशक,
गुजरात अंबुजा सिमेन्ट लिमिटेड
6. डा. अरविन्द वीरमणि—सलाहकार,
नीति निर्धारण, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय
7. श्री पी. आर. खन्ना—सनदी लेखाकार
8. श्री एन. एम. गोवर्धन—अध्यक्ष,
भारतीय जीवन बीमा निगम
9. श्री पी. जी. काकोडकर—*अध्यक्ष,
भारतीय स्टेट बैंक
10. श्री एन. वाघुल—अध्यक्ष,
आई सी आई सी आई लिमिटेड
11. श्री रशीद जिलानी—अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
पंजाब नेशनल बैंक

*उनकी कार्यावधि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो गई है ।

योजना की विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :—

(1) यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आई आई एस एफ यू एस 1997) कही जाएगी ।

(2) यह माह अप्रैल, 1997 के 15वें दिन से आरम्भ होगी ।

(3) यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1 जुलाई, 1997 से 30 जून, 2002 तक होगी ।

(4) यूनिटों की बिक्री 15 अप्रैल, 1997 से 29 मई, 1997 तक 45 दिनों के लिए होगी । बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के सन्दर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट सन्तुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है ।

(2) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है ।

(3) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र है और योजना के खण्ड 4 के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(4) "पात्र ट्रस्ट" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथा परिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(5) "सूचीबद्ध" का अर्थ ओ टी सी ई आई पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है ।

(6) "जारी यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की संख्या है ।

(7) "व्यक्ति" में उसका यथा परिभाषित पात्र ट्रस्ट शामिल है ।

(8) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(9) "सीबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेन्ज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेन्ज बोर्ड।

(10) इस योजना से सम्बन्धित "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(11) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(12) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिए गए हैं।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

4. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :—

(1) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट सहित सभी पात्र ट्रस्ट।

(2) समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां।

(3) अन्य कोई निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(4) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फण्ड।

(5) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कम्पनियों सहित)।

(6) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक।

(8) अन्य वाणिज्यिक बैंक।

(2) आवेदन ऐसे फार्म में किया जाएगा जैसा ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय या समितियां यथाअपेक्षा ट्रस्ट को वे भी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता हो, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश का अधिकार देने व प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति।

5. न्यूनतम निवेश राशि :

योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश दस लाख रुपए है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 10 रुपए के गुणकों में न होने वाले निवेशों के लिए यूनिटों का आवंटन निकटतम से निचले स्थान तक किया जाएगा।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जी आई आर संख्या हो तो उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के नाम का उल्लेख करें।

6. भुगतान विधि :

1. (1) आवेदक द्वारा सभी भुगतान आवेदन पत्र के साथ चेक या ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक द्वारा ही वहन किया जाएगा) किए जाएंगे, चेक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें शामिल होगी। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिए जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो और उस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट का होगा। योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूल हो जाए, परंतु ट्रस्ट को आवेदन पत्र ड्राफ्ट जारी करने के 10 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए। अदा की गयी राशि योजना के अंतर्गत न्यूनतम देय राशि और अन्य देय उधार को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो संपूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे आवेदक को उसके खर्च पर वापस की जाएगी।

2. (क) आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार : योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा। योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या उसके संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) अपूर्ण पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे : यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाता तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी ब्याज के ... के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा। आवश्यक परिशोधनगत और ... का अनुपालन किया जाने के बाद राशि वापस की जाएगी।

3. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करनेवाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उप-नियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि। ट्रस्ट की संतुष्टि के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करने पर ही आवेदन पत्र का स्वीकरण निर्भर होगा।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट खरीदेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जमीन ले और उस प्रकार यूनिटों को पुनर्खरीद समझकर पर या ऐसे मूल्य पर कम ले जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किया गया अधिक भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर ले और शेष राशि वापस कर दे।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में कितना भी समय लगे।

7. न्यूनतम लक्ष्य राशि जुटाना :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली राशि का लक्ष्य 20 करोड़ रुपए होगा । अत्यभिदान यदि कोई हो तो, उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा । यदि कथित लक्षित राशि का अभिदान नहीं होता है । तो ट्रस्ट आदाता के खाता में चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः सप्ताह या उसके पहले वापस करेगा ।

उक्त अनुबंध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में योजना के अंतर्गत बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेवार होगा ।

8. खर्चों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.5% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
मुद्रण और डाक	0.75%
प्रचार	0.75%
विपणन व्यय	1.00%
स्टाम्प शुल्क एवं अभिरक्षण शुल्क	0.50%
संसाधन प्रभार	0.50%
योग	3.50%

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए का कम से कम 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 2% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
प्रशासनिक व्यय	0.90%
अभिरक्षण शुल्क	0.50%
विकास प्रारंक्षित निधि	0.25%
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10%
लेखा परीक्षा शुल्क, न्यासियों के शुल्क एवं व्यय, दलाली एवं लेनदेन की लागत आदि	0.25%
योग	2.00%

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्युचअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा ।

योजना का कुल आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :

(1) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के पहले 400 करोड़ रुपए पर—2.00%

(2) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर—1.75%

(3) आस्तियों के शेष पर—1.50%

'प्रशासनिक व्यय', 'विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान' और 'स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान' शीर्षक के अंतर्गत व्यय निम्नलिखित के अधीन होंगे : (1) जब तक शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए को पार नहीं करती हैं, योजना के प्रत्येक लेखा वर्ष में बाकी साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों के एक एवं एक चतुर्थांश प्रतिशत, (2) 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का एक प्रतिशत, जहां ऐसी परिकलित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हों । सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 में बताए अनुसार, यूटीआई कोई निवेश प्रबंध एवं सलाहकार शुल्क नहीं लगाता है । हालांकि यूटीआई सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक निर्गम व्यय और वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत बताई गई सीमाओं के भीतर रहें ।

9. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगा ।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । ट्रस्ट इसके बाद 50,000 यूनिटों के लाट में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा । जो यूनिट 50,000 के गुणक में नहीं होंगे उनके लिए केवल एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा ।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र को यथाशीघ्र लेकिन यूनिटों को यूनिटों के अंतर्गत बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा ।

10. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) (1) योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 30 जून, 2000 तक यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर बट्टे पर होगा । बट्टा 5% से अधिक नहीं होगा । पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा 01/07/2000 से प्रत्येक सप्ताह में एक बार की जाएगी । यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का मोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा । समय पूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा ।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति तभी दी जाएगी बशर्ते न्यूनतम शेष के रूप में दस लाख रुपए (अंकित मूल्य) कायम रहे ।

(2) यूनिटधारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसा कि ऊपर उप-खण्ड-1 (1) में बताया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उनका धारण कर सकते हैं ।

(2) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी ।

(3) पुनर्खरीद, यथोचित भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद प्रभावी होगी । पुनर्खरीद राशि का प्रेषण, ट्रस्ट के मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय में, जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित होते हैं, आवेदन पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन उचित हो) इस प्रकार किया जाएगा जैसा आवेदक ने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया हो । किसी भी स्थिति में, आवेदक को देय राशि पर, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और विप्रेषण लागत (डाक खर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक अथवा ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

11. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा—

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बन्द हो ।

स्पष्टीकरण : इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत अधिसूचना हो या (2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

12. बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि के अनुसार उस दिन को प्रकाशित मूल्य पर होगी ।

13. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट जितना जल्दी संभव हो ऐसी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए जारी करेगा ।

14. सूचीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें, योजना के शुरू होने की तिथि से छः माह के भीतर ओटीसीईआई पर सूचीबद्ध की जाएगी । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होते ही तुरंत बाद सेबी (म्यूचअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार ओटीसीईआई में सूचीबद्ध कराने हेतु आवेदन किया जाएगा ।

15. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार के अंतिम मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है ।

(2) उद्धृत डिबेंचरों एवं बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है, उसे ब्याज तत्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोद्धृत/गैर-व्यापारिक इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण एवं बही-मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर अथवा बही-मूल्य पर जो भी कम हो, किया जाता है ।

(4) अनोद्धृत डिबेंचरों, बाण्ड और अंतरणीय नोट लिखत के दर-निर्धारण पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(5) अनोद्धृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं । जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) बोनस/अधिकार पात्रता, पूर्व-बोनस/पूर्व-राइट तिथियों पर मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(7) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए कटौती काट कर बाजार दर पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया हो, किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(8) (क) काल मनी में निवेश, बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत धारित बिल, बैंकों में अल्पावधि जमा राशियों और आरबीआई में किया गया रिपोज लागत पर लिए जाते हैं ।

(ख) अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन ऐसे भाव पर किया जाएगा, जिस भाव पर पिछली बार लिखत का व्यापार हुआ था । इस प्रयोजन हेतु ऐसा व्यापार जो दो कार्य-दिवसों से अधिक के लिए न हो वैध माना जाएगा । जब पिछले दो कार्य-दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो तब लिखत का मूल्यांकन लागत और अंकित मूल्य एवं शेष परिपक्वता पर समान रूप से लागू की गई लागत का अंतर तथा जहां लागू हो, दिन के आरंभ होने तक प्रोद्भूत ब्याज को जोड़ कर किया जाता है ।

(9) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एकत्रित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाएगा ।

(10) उपरोक्त पैरा (1) से (9) तक के अनुसार मूल्यांकित निवेशों के बाजार मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

16. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण:

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा । यह एनएवी (दैनिक आधार पर) योजना के आरम्भ होने से 90 दिनों के भीतर और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।

17. (क) निवेश उद्देश्य :

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का अधिक से अधिक 20% इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष का नियत आय वाले प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा । नियत आय प्रतिभूतियों का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा । इक्विटी निवेशों का जोखिम तत्व उच्च होगा ।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश, इस संबंध में सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा ।

उपर्युक्त के बावजूद, निवेश का अनुपात बाजार की स्थितियों और निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार उपरोक्त से भिन्न भी हो सकता है। निवेश के समानुपात में होनेवाला कोई भी परिवर्तन योजना के निवेश उद्देश्य के समनुरूप होगा ।

उपरोक्त निवेश उद्देश्य के अनुसार प्रतिभूतियों में योजना की निधियों का निवेश लंबित रहने पर ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पावधि जमाओं में कर सकता है ।

(ख) निवेश नीतियां

(1) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी श्रेणी निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाएगा ।

परंतु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा ।

(3) इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में निवेश का अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तर-योजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कम्पनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो ।

(5) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला में लिप्त होना पड़े ।

(6) जब भी निवेश दीर्घावधि प्रकृति के होने वाले हों, ट्रस्ट योजना की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा ।

(7) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को लाभांश अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी । परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

प्लान की प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएस) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हो और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों । यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी । यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली एक उच्च तकनीकी ज्ञान वाली कम्पनी है ।

तथापि, ऊपर खण्ड 15, 16 और 17 (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी के (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा ।

18. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे फार्म में होगा जैसा कार्यपालक निदेशक द्वारा निश्चित किया जाएगा । प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तथा यूनिट धारक का नाम होगा ।

19. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप से हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र इस बात के होते हुए भी वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो । परन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाणपत्र जिसमें

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाणपत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होगा।

20. प्रमाणपत्र के कट-फट जाने विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिसा-पिटा या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार हकदार व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए, घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाणपत्र में हो। यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटा पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किये हों;

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(3) (कट-फट जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो; तथा

(4) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो। इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सद्भावपूर्वक एक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में कर और ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करे।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत यूनिटधारक ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा और ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करेगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित/अपेक्षित होगा।

21. यूनिट धारकों की पंजी :

यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) हरेक ऐसे यूनिटधारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जब ऐसा यूनिटधारक अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिटधारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य समय के दौरान (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) यूनिटधारक के निःशुल्क तथा उसके अपने निवेश के संबंध में निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। यूनिट ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा।

(5) यूनिट धारक के सिवाय किसी व्यक्ति को किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना और कोई ग्रहणाधिकार पंजी में दर्ज नहीं किया जाएगा।

22. यूनिट धारक द्वारा रसीद-ट्रस्ट के प्रति उन्मोचन :

यूनिट धारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी यूनिट प्रमाणपत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

23. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन :

निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी।

(1) प्रत्येक यूनिटधारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और वह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां योजना में निवेश दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह केवल खण्ड 4 में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(3) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) अंतरण की प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा । ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों । इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होंगी ।

(5) यदि अंतरिती विधि के परिचालन में या आधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा ।

(6) जब यूनिट अधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो ये कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है ।

(7) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा ।

(8) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालनगत आवश्यकताओं के पूरी करने तक रखे जाएंगे ।

(9) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाणपत्र के पीछे इस प्रयोजन के लिए दी गई जगह पर पृष्ठांकन करेगा ।

(10) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी लिखत वापस करेगा ।

24. आवेदन और अंतरण फार्म पर अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर :

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी विधिवत नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करनी चाहिए ।

25. आय वितरण की दर :

ट्रस्ट सभी पांच वर्षों के लिए 15% प्र. व. की दर पर आश्वासित भुगतान करने का प्रस्ताव रखता है । आश्वासित भुगतान के मामले में कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति विकास प्राधिकरण निधि से की जाएगी । पहले वर्ष के लिए लाभांश की गणना स्वीकृत तिथि पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर की जाएगी और उसे जुलाई 1998 में अदा किया जाएगा । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश प्रति वर्ष जुलाई में अदा किया जाएगा ।

26. यूनिटधारकों को भुगतान :

(1) ट्रस्ट योजना के सभी पांच वर्षों के लिए 15% प्र. व. की दर पर लाभांश अदा करेगा । पहले वर्ष के लिए लाभांश जुलाई 1998 में समानुपातिक आधार पर देय होगा । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश प्रतिवर्ष जुलाई में अदा किया जाएगा । लाभांश धारकों को, जिस वर्ष में लाभांश देय हो, उसके समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर प्रेषित किया जाएगा ।

कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और निवेश उद्देश्य और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना सभी पांच वर्षों के लिए 15% की दर से आश्वासित प्रतिलाभ अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी ।

योजना के अंतर्गत 15% प्र. व. की दर पर प्रतिलाभ का औचित्य :

लिखतें	निवेश वर्शाने वाला समानुपात (क)	औसम आय (ख)	औसत भारित आय (क*ख)
डिबेंचर	0.90	18.00	16.20
इक्विटी एवं मुद्रा बाजार	0.10	8.00	0.80

पोर्टफोलियो की औसत भारित आय 17.00% है । वार्षिक व्यय 1% लेने पर, वितरण के लिए उपलब्ध आय 16% रहेगी । यह 15% प्र. व. की दर से लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी ।

उपर्युक्त उदाहरणस्वरूप तथा योजना के प्रारम्भ होने के समय बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है ।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए बंध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाएं, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देगा ।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी—

(1) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरणकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति में या अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के लिए; और

(2) कोई प्रमाणपत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के संबंध में हुए विलंब की वास्तविक अवधि के लिए ।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा । तथापि, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिटधारक द्वारा लाभांश के किसी विलंब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिट-धारक को मुआवजा देगा ।

(5) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली आय बैंक या यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारण्ट या यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा किया जाएगा । उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिटधारक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

आय वितरण वारण्टों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें । तब आय वितरण वारण्ट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे । यूनिटधारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारण्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारण्ट यूनिटधारक के नाम जारी किए जाएंगे ।

27. आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश :

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिटधारक को यूनिटों के संबंध में प्राप्त होने वाली आय को और यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा । ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में वितरित की जाने वाली पूर्ण आय खंड 26 में दी गयी रीति से यूनिटधारक को अदा करते जाने के बजाय, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा उसी वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में प्रचलित एनएवी आधारित मूल्य पर किसी बिक्री भार के बिना और यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी । वितरण योग्य लाभांश, कर कटौती, यदि कोई हो, और उनके बदले आबंटित यूनिट के ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिटधारक को भेजी जाएगी । इस तरह आबंटित यूनिटों के संबंध में किसी यूनिटधारक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा । यूनिटधारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अंतिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खंड की शर्तों के अनुसार उसे उक्त समय पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है । जिन यूनिटधारकों ने पुनर्निवेशित यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, वे उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वितरण योग्य आय के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । उस खंड के अंतर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिट न्यूनतम धारण, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे ।

28. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में आश्वासित प्रतिलाभ की दर में कमी होने की दशा में भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है ।

29. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

30. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत हैं और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी विपरीत नोटिस या या न्यास निष्पादन का नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

31. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी और अन्यों को विधिवत् रूप से लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखों तथा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो ।

ट्रस्ट, यूनिधारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

32. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । किसी संशोधन

के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा । जब योजना की मूल विशेषताओं या देय शुल्क या प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन चौथाई यूनिटधारकों की सहमति ली जानी चाहिए :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी आस्तियां मोचन करने की अनुमति हो ।

व्याख्या : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य और योजना की शर्तें ।

33. योजना की समाप्ति :

(क) योजना पूर्ण रूप से 30 जून 2002 को समाप्त हो जाएगी । यूनिटधारकों के सकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट लिखित रूप से सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरक्षित की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :—

(1) योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 जून, 2002 को अथवा आगे ऐसी तारीख को समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर और जिसमें ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% यूनिटधारक द्वारा योजना के समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निदेश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में समापन प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को निर्गमित और रद्द करना बन्द करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रसिदान भी बन्द करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए उप खण्ड (घ) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त की गई, योजना की समाप्ति के पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना की लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 33 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी सन्तुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत् रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

34. यूनिटधारकों को लाभ :

योजना की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारंभिक निधि और अधिशेष के संबंध में योजना को उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिट-धारकों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

35. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना के किसी भी उपबन्ध की व्याख्या में कोई सन्देह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यशील न्यासी को योजना के अर्थ निर्धारण का

अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।

36. उपबन्धों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना के किसी भी उपलब्ध में ढील दे सकता है। ऐसी कोई ढील खण्ड 32 के विपरीत तथा विभेदक नहीं होगी तथा सभी यूनिटधारकों पर समान रूप से लागू होगी।

पेशकश दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

37. योजना यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा।

(1) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या

(2 प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो,

(3) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए, या

(4) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड 32 में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और व्यय ढांचे में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए।

यूनिटधारकों के अधिकार :—

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिटधारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

4. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक लाभांश वारन्ट को प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

5. "यूनिटों का अन्तरण/गिरवी रखना/समनुदेशन" पर खण्ड 23 में दी गई शर्तों के अधीन, ट्रस्ट अन्तरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अन्तरिती को यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अन्तरण संबंधी विलेख वापस करेगा।

कर मार्गदर्शक :

कर छूट

प्रचलित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उन मामलों में जहां पर निवेश करनेवाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास :

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आयकर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आय कर अधिनियम की धारा 11)। इस प्रकार धर्मार्थ और धर्मादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते हैं और आय कर से बच सकते हैं। यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आय कर लगेगा। ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो। यू टी आई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है। कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आयकर से छूट के योग्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कर में छूट के लिए योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए। यू टी आई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है।

(2) धारा 23एए में दर्शायी गयी कोई भी संगठित निधि/अन्य संस्थाएं : ये प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी।

स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10 (23एए) या 10(23सी) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में स्रोत पर कर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगा।

धन कर :

वित्तीय आस्तियां जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फण्डों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी : सांविधिक निगमों जैसे आईडीबीआई और एसी ही अन्य संस्थाओं के संबंध में आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में, संचालित होगी ।

इस योजना के अंतर्गत निवेश में से होने वाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निदेशों के अधीन होगा ।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का आईआईएसएफयूएस '97 में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी, योजना प्रारंभ होने की तिथि अर्थात् 1 जुलाई 2000 से तीन वर्षों बाद की/किया/रखा जाए ।

आयकर/धनकर/उपहार कर/पूंजीगत अभिलाभ कर से संबंधित प्राकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुरूप होगा ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी, 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फण्डों/प्लानों की सभी सम्पत्तियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेन्ट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फण्डों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एम के कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी मॉल, कानपुर-208001 और मैसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, मार्णकजी वाडिया बिल्डिंग, 127 महात्मा गांधी रोड, मुम्बई । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन है ।

निवेशकों की शिकायतें

01-02-96 से 31-01-97 तक इसी अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सी सी सी एफ	2553	2428	125	4.90%
सी जी जी एफ	18132	17704	428	2.36%
सी जी एस-93	16848	16449	399	2.37%
सी जी यू एस-91	4795	4722	73	1.52%
सी आरटी एस	184	140	44	23.91%
डी आई यू पी-93	414	403	11	2.66%
डी आई यू पी-95	967	947	20	2.07%
डी आई यू एस-90	1829	1806	23	1.26%
डी आई यू एस-91	3671	3620	51	1.39%
डी आई यू एस-92	2218	2101	27	1.22%
ई ओ एफ	760	757	3	0.39%
जी सी जी आई	10784	10579	205	1.90%
जीएम आईएस-91	13165	10880	2285	17.36%
जी एम आईएस-92	3209	2984	225	7.01%
जी एम आईएस-92 (II)	788	776	12	1.52%

1	2	3	4	5
जी एम आई एस-बी-92	254	250	4	1.57%
जी एमआई एस-बी-92 (II)	2136	2074	62	2.90%
ग्रेंड मास्टर-93	829	807	22	2.65%
जी यू पी-94	1493	1447	46	3.08%
एच यू एस	248	219	38	15.32%
आई आई एस एफ यू एस	4	4	0	0.00%
मास्टरगेन-92	43608	41992	616	3.71%
मास्टर योध-93	2314	2226	89	3.80%
मास्टर प्लस-91	10612	10527	85	0.80%
मास्टर शेयर-86	15801	4462	339	8.47%
एम ई पी-91	4401	4105	206	4.68%
एम ई पी-92	36357	4932	425	3.92%
एम ई पी-93	24484	13747	737	3.01%
एम ई पी-94	8229	8147	82	1.00%
एम ई पी-95	13549	13384	165	1.22%
एम ई पी-96	4351	4307	44	1.01%
एम आई पी-93	2422	2399	23	0.95%
एम आई पी-94 (I)	2454	2313	141	5.75%
एम आई पी-94 (II)	4247	4146	101	2.38%
एम आई पी-94 (III)	6159	6171	288	4.46%
एम आई पी-95	3230	3144	86	2.66%
एम आई पी-95 (II)	4101	3770	331	8.07%
एम आई पी-95 (III)	3040	2913	127	4.18%
एम आई पी-96	2431	2391	40	1.65%
एम आई पी-96 (II)	2845	2782	63	2.21%
एम आई पी-96 (III)	2770	2414	300	12.00%
एम आई पी-96 (IV)	347	337	10	2.88%
एम आई एस-बी-93	3992	3890	102	2.56%
एम आई एस जी-90 (I)	218	173	45	20.64%
एम आई एस जी-90 (II)	1708	1665	43	2.52%
एम आई एस जी-91	2265	2219	46	2.03%
ओमनी प्लान	44	36	8	18.18%
पी ई एफ	442	334	108	24.43%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	7689	7332	357	4.64%
आर बी पी	2292	2219	73	3.18%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1161	1106	55	4.74%
यू जी एस-2000	10857	9674	1183	10.90%
यू जी एस-5000	5966	5767	199	3.34%
यूलिप	12369	11134	1235	9.98%
यू एस-64	180943	166153	14790	8.17%
यू एस-92	7358	7355	3	0.04%
कुल	520637	490934	29703	5.71

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है ।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र,
जी. डी. सोमानी मार्ग, कफ परेड,
मुम्बई-400005 ।
टेली : 218 0172/218 1600

पूर्वी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700001 ।
टेली : 243 4581

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाउस,
29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600001 ।
टेली : 517101 विस्तारोत : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरोल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002 ।
टेली : 332 9860

रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं ट्रस्ट के मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेन्टर-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005 पर प्रदान की जाएगी । ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को प्रेषित करने, बिक्री पर्यन्त सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर निपटाने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट ब्लाक नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400020 में उपलब्ध किया जाएगा ।

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक के साथ किया गया करार
* आईआईएसएफयूएस '97 के पेशकश दस्तावेज की प्रति

यूटीआई की पिछली संस्थागत निवेशक विशेष स्थिति
यूनिट योजना का ब्यौरा

योजनाएं	आई आई एस एफ यू एस '93	आई आई एस एफ यू एस '95	आई आई एस एफ यू एस '96
प्रारंभ होने की तिथि	01-03-1993	01-10-1995	01-01-1997
बिक्री/समापन के स्थगन की तिथि	01-11-1993	30-09-2000	31-12-2001
अर्द्ध वार्षिक लाभांश (जनवरी एवं जुलाई में देय)	16% प्र० व० 1276.87 करोड़	15% प्र०व० (पहले वर्ष के लिए)	16% प्र० व० (पहले वर्ष के लिए)
संग्रहीत राशि	518	177.70 करोड़	196.35 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या		292	247

पूर्ववर्ती आंकड़े

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993-94	1994-95	1995-96		31-12-1996		
	आई आई एस एफ'93	आई आई एसएफ' 93	आई आई एस एफ'93	आई आई एम एफ'95	आई आई एस एफ'93	आई आई एफ एफ'95	आईआई एस एफ'96
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त ;							
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.11	1.27	1.51	1.33	0.46	0.68	0.10
(ii) निवेश के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.46	0.36	0.01	0.06	0.13	0.00	0.00
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.03	0.10	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट							
(ग) कुल व्यय अपलिखित परिशोधन एवं प्रभार प्रति यूनिट	—	—	0.07	—	0.18	0.09	—
	0.06	0.01	0.01	0.05	0.00	0.03	0.01
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.55	1.71	1.61	1.42	0.77	0.74	0.09
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्य वृद्धि/ मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.30	—0.21	—0.11	0.73	—0.42	0.51	0.26
(छ) बाजार मूल्य							
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—
पुनर्खरीद मूल्य							
उच्चतम	—	—	10.50	—	10.40	10.95	—
न्यूनतम	—	—	10.22	—	9.90	10.25	—
बिक्री मूल्य							
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—
लाभ उपार्जन अनुपात	—	—	—	—	—	—	—
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	—	0.28%	0.10%
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	7.66%	11.53%	3.38%
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स), मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिम बंगाल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दक्षिणी अंचल : एलआईसी हाउस 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860/3329858।

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय

कामर्स सेन्टर-1, 29वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005,

दूरध्वनि : 2181600/2180057

शाखाएं, जहां आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि :

6423043 बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहला मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462011, दूरध्वनि : 558308 इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, मुम्बई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई-400049, दूरध्वनि : 6201995 (2) पर्सीपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी नवी मुम्बई-400703, दूरध्वनि : 7672607 (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821, (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि : 8020521 (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खौत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लैक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे) नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893, नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166, पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल डा. ए. बी. मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472, पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954, राजकोट : वल्लभभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, गनपरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550, ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.)-400601, दूरध्वनि : 5400905।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : ग्लाइटेल टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003, दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लैक्स, दूसरी मंजिल, सिविल रोड, अमृतसर-143001, 210367, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160017, दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 26720, फरीदाबाद : जी-614-617 नेहरु ग्राउंड, एन-आईटी फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 210010 गाजियाबाद 41 नवयुग मार्केट, सिघानी गेट के पास, गाजियाबाद-201001, 752040 जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिवेली प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि : 3318638, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेंन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला171002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 54306।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चैंबर आफ कामर्स, केम्पेगोवडा रोड, बंगलोर-560009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेंशन, 4थी मंजिल, लैमिंग्टन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट हैदराबाद-500001, दूरध्वनि : 511095, चेन्नई : यू.टी.आई हाउस, 29, राजाजी सलाई, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101 मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परंकुन्द्रम रोड, मदुराई-625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बालमत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सैन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरियूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाप बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156 बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434, विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि : 548121।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल, 24, जनपथ खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एस एल नेहरु रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि : 235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक मार्ग, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 24671।

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 21st June, 1997

In 'Pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act. 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F. (8)/ 70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990] the following list for the month ended April 1997 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claim named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India , Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of seculrites previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs/Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No and date of orders issued
1	2	3	4	5	6
		Calcutta Circle			
		7.25% IFC Bond 1996 2nd Series			
CA-000464	1,00,000	Trs. The Providend Fund of Bangur Brothers Ltd.	Interest for 27th Half-year ending (3-6-95) paid	Trs. The Provident Fund of Bangur Brothers Ltd.	File No. 1-2520, General Manager's Order dated 25-4-97 vide Dy. No. LCO-210/96-97 dated 25-4-97
		3% Conversion Loan 1946			
CA-322359	10,000	Allahabad Bank	Interest upto 52nd Half-year paid	M/s. United Engineers Prop. Animesh Chaudhury	File No. 1-2483, General Manager's Order dated 29-4-97 vide Dy. No. LCO. 214/ 96-97 dated 29-4-97
CA-301645	Rs. 1,000	Menaka Ram Rakshit	Do.	Do.	Do.
CA-248483	Rs. 1,000	Tapendra Ch. Ghose	Do.	Do.	Do.
CA-269836 to 839	Rs. 1,000 each	Ashok Construction & Co.	Do.	Do.	Do.
CA-275929 to 930	Rs. 1,000 each	Bimalapati Mukherjee	Interest upto 50th Half-year paid	Do.	Do.
CA-296371	Rs. 1000	United Industrial Co.	Interest upto 43rd Half-Year paid	Do.	Do.
298287	Rs. 1,000	Do.	Do.	Do.	Do.

LIST 'B'

No. of Security	Value	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & Date of orders issued
1	2	3	4	5	6
		CALCUTTA CIRCLE			
		5½% Loan 2003			
CA-012307	Rs. 5,000/-	Prosad Das Boral & Bros.	Interest paid upto 27th Half-year dated 11th Nov. 86	M/s .K. L. Enterprise	File No 1-2522 General Manager's Order dt. 18-3-97 vide Dy. No. LCO 181/96-97 dt. 19th March, 1997.
		9 % Relief Bonds 1987/(New Delhi Circle)			
DH-003895 to DH-003902 (8X5,00,000/-)	Rs. 40 lacs	Avtar Mohan Singh & Bhai Mohan Singh	No. interest is due	Avtar Mohan Singh & Bhai Mohan Singh	LN-2/96 dated 12-3-96
		National Defence Gold Bond 1980 'A' Series.			
DH-000776	81 gms. of gold	Shri Ajit Singh	16-12-65 onwards	Lehmber Singh s/o Shri Gijjan Singh P. O.A of Ajit Singh	L.N.-9/96 dated 8-2-97

Smt. N. A. AHALEY
P. Chief General Manager

STATE BANK OF INDORE
(HEAD OFFICE)

Indore, the 14th June 1997

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore on Friday, the 25th July, 1997 at 11-30 A. M. (Standard Time) to transact the following business :—

"To receive the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on 31st March, 1997 (1-4-1996 to 31-3-1997), the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts".

By order of the Board of Directors,
C. K. MEHROTRA
Managing Director

UNITED BANK OF INDIA
PERSONNEL ADMINISTRATION (OFFICER EMPLOYEES) DIVN. HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 29th May 1997

No. 2/97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the United Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called United Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Regulations 4 of the United Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1976 (herein after called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting the Officers' pension";

(b) Under the heading "Major Penalties" the clauses (e), (f), (g) and (h) shall be renumbered as clause (g), (h), (i) and (j);

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For the re-numbered clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade or post".

3. In sub-Regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

4. In Sub-Regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "clauses (a) to (e) of Regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of Regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE : Earlier amendments to United Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations were published in Part-III Section 4 of the Gazette of India as per details given below :—

Sl. No., Notification No. and Date

1—GSR-2/89—23-12-1989

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. General Manager
(Personnel)

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION.

CENTRAL OFFICE

New Delhi-66, The 27th May, 1997

No. C.P.F.C. E. 1(4)AP(1368)/96/483—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	AP/GT/27697	M/s. Venkatesh Mens Shoppe, 4th Lane, Brodiepet, Guntur-522002.	1-1-1996
2.	AP/HY/28447	M/s. Mahesh Electrical & Engineering Services, 5-75, Chandnagar, Hyderabad-500138	1-9-1995
3.	AP/HY/28427	M/s. Kumar Electricals, H. No. 6-123, Chand Nagar, Seri Lingampally Municipality, Hyderabad-500137, R.R. District.	1-10-1995
4.	AP/VP/27198	M/s. Kadiam Large Sized Cooperative Credit Society Ltd., Kadiam, East Godavari Distt.	1-8-1995
5.	AP/HY/28125	M/s. S.B.H. Staff Coins Cooperative Stores, Gunfoundary, Hyderabad-500179.	1-4-1995
6.	AP/GT/27571	M/s. Chukkapalli Industrial Training Institute, Adavinekalam, Agiripally Mandal, Krishna District.	1-6-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. KALAYANARAMAN
Regional Provident Fund Commissioner,

No. C.P.F.C. 1(4) AP/VP(1304))/95/491—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address o the estt.	Date of Coverage
1.	AP/VP/26944	M/s. The Palakoderu Cooperrtive Rural Bank Ltd., Palakoderu Mandal, Palakoderu, 534209, West Godavari.	1-1-1995

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
2.	AP/VP/26952	M/s. Kallkurru Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., No. 154 WG, Kallakurru Mandal-534237.	1-9-1994
3.	AP/VP/25053	The Venkataswamy Naidu Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., SriChikkala, West Godavari District-534245.	1-4-1994
4	AP/VP/26808	M/s. The Narsapur Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., Josyulavari Street, Narsapur, West Godavari District-534275.	1-4-1994
5.	AP/VP/26903	M/s. The Perupalem Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., No. 442F, Perupalem, Mogaltur Mandal, West Godavari District.	1-12-1994
6.	AP/22945	M/s. Poduru Muleswara Weavers Cooperative Sales and Production Society Ltd., Poduru, West Godavari District, WG No. 343.	1-9-1993
7.	AP/VP/26858	M/s. Lakshmaneswara Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., Lakshmaneswaram, Narsapur (MDLM), West Godavari District.	1-10-1994
8.	AP/VP/2[illegible]	M/s. The Akiveedu Cooperative Rural Bank Ltd., No. 1784, West Godavari District-534235.	1-9-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. KALAYANARAMAN
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C./(4) AP(1252)/95/501—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the co.	Date of coverage
1.	AP/26390	Hindustan Controls, 12-1-513,/A/, Lalapet, Secunderabad-500017.	1-9-1994
2.	AP/23422	G.V. Surendra Babu, House Keeping and Handling, Contractors, Indian Oil Corporation Ltd., Indian Bottling Plant, Kodepalli-521228.	1-10-1993
3.	AP/27413	Ravi Engineering Enterprises, 16-2-145/1/3, Malakpet, Hyderabad-500036.	1-11-1994
4.	AP/GT/27514	The Guntur Women Cooperative Urban Bank Ltd., Guntur-522003.	1-1-1995

1	2	3	4
5.	AP/GT/23538	Vasundra Engineering Works, D. 10B, Colony, Ibrahimpatnam-521456, Krishna District.	1-4-1994
6.	AP/GT/23543	P. Ramamohan Rao Contractor, Southern Commercial Corporation, Near Iltd. Company, Gollapudi-521225.	1-7-1994
7.	AP/26268	Sri Sai Granite Industries, Precessors of Polished Granite, Slabs, A-9, Industrial Estate, Patancheru-502319.	1-7-1994
8.	AP/27928	Oxeec Meditek (P) Ltd., C-37 & 38, Industrial Estate, Sanathanagar, Hyderabad-500018.	1-10-1994
9.	AP/27931	Sri Lakshmi Nursing Home, No. 53, HMT Nagar, Nachoram, Hyderabad-501507.	1-2-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I R. K. KUREEL, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. KALAYANARAMAN
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1 (4) WB (1339)/96/512—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	WB/CA/29944.	M/s. Merino Exports (P) Ltd, 5, Alexandra Court. 60/1, Chowringhee, Road Calcutta-700020.	1-3-1995
2.	WB/CA/29886	M/s. Rabin Das AE—C/21, North Arjunpur Calcutta-700059.	1-3-1995
3.	WB/CA/29895	M/s. North Calcutta Diesels 106, Barrackpore Trunk Road, Calcutta-700035.	1-4-1995
4.	WB/CA/29896	M/s. Stiefel Und Schun (India) Ltd., Ballygunge New Aircondition Market, 46/31/1, Gariohat Road, 5th Floor, Calcutta-700029.	1-4-1995
5.	WB/CA 29897	M/s. Conage Surface Treatments, 10/6A/1, Gobinda Ch. Khatick Road, Calcutta-700046.	1-4-1995
6.	WB/CA/29898	M/s. Sweet Home, 6, Kiran Sankar Roy Road, Calcutta-700001.	1-4-1995

1	2	3	4
7.	WB/CA/29945	M/s. Navjivan Nursing Home, (Unit Life Line Nursing Home), 44, Wood Street, Calcutta-700016.	1-2-1995
8.	WB/CA/29947	M/s. Shree Maa Nursing Home, V. & P.O. Debra Bazar, Midnapore.	1-2-1995
9.	WB/CA/29948	M/s. Florist, Village LAUDA, C/o. Chloride Hal P.O. Banamalichatta, P.S. Contal, District Midnapore, (West Bengal-721602).	1-11-1992
10.	WB/CA/29949	M/s. Phoenix Trading Corporation, 408, Marshall House, 25, Strand Road, Post Box No. 633, Calcutta-700001.	1-1-1995
11.	WB/CA/29950	M/s. Varun Moters (P) Ltd., 82, Park Street, Calcutta-700017.	1-4-1995
12.	WB/CA/29956	M/s. National Pharmaceuticals, 4, Sadananda Road, Calcutta-700026.	1-1-1995
13.	WB/CA/29965	M/s. IDEAL Security Service, 6, Commercial Bldg., 2nd Floor, 23, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.	1-2-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. KALAYANARAMAN
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 16th May 1997

No. UT/DBDM/R-1020/SPD-71P/96-97.—The Offer Document of the Monthly Income Plan 1988 (II) formulated under Section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 (II) made under section 21 of the said Act approved in the Executive Committee meeting held on 6th March, 1997 are published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME PLAN 1997 (II)

OFFICER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM APRIL 24, 1997 TO JUNE 07, 1997

The Monthly Income Plan 1997 (II) has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 (II) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

* *The Plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, and the units Offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.*

PLAN OBJECTIVE

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either regular income on a monthly basis or growth of investment over a period of 5 years.

HIGHLIGHTS

* A five year close ended plan.

* Open to resident and non resident adult individuals, mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/ Societies/Regd. Co-operative Societies/Bodies Corporate including Companies and Banks/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

* *The Trust shall pay an Assured dividend @ 14% p.a payable monthly (effective return 14.93%) for all the five years of the plan. The dividend will be paid through postdated monthly warrants. Depending on the earning of the plan additional income could be paid on maturity*

* *Under the monthly income option, dividend warrant for the period upto March 1998 will be sent alongwith the membership advice/unit certificates. Thereafter*

dividend warrants will be sent in advance for every April-March period. For receiving full year's income distribution the investor should hold the units for a full year.

* *Under the capital growth option Rs. 2000/- will atleast become Rs. 4012/- on maturity.*

* *Repurchase allowed from 1st July 2000 at NAV based repurchase price under both the options.*

* *Scheme shall be listed on OTCEI within six months after closure of subscription.*

* It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be as per prevailing NAV.

* There is scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.

* Dividends and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.

* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

* Capital gains tax exemption U/S 54 EA of the Income Tax Act, 1961.

Special attention of investors is invited to the highlights on income distribution, repurchase and listing indicated in the above paragraph in italics.

RISK FACTORS

There is no guarantee of protection of capital for premature repurchases and the repurchase price in such cases will depend on the NAV.

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the plan's portfolio.

* Performance of the previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results.

* Monthly Income Plan 1997 (II) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

* The Trust has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 56,620 crores from over 50 million investors. Table indicating performance of thirty-four Monthly Income Plans of the Trust launched till date is given on page number 23.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profit and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Shri G P Gupta—Chairman, Unit Trust of India.
2. Dr. P J Nayak—Executive Trustee, Unit Trust of India.
3. Shri R. V. Gupta—Deputy Governor, Reserve Bank of India.
4. Shri S. H. Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N. S. Sekhsaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Dr. Arvind Virmani—Advisor, Policy Planning, Govt. of India, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance.
7. Shri P. R. Khanna—Chartered Accountant.
8. Shri N. M. Govardhan—Chairman, Life Insurance Corporation of India.
9. Shri P. G. Kakodkar—*Chairman, S.B.I.
10. Shri N Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.
11. Shri Rashid Jilani—Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

*His term has expired with effect from 31-03-1997.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (II) [MIS '97 (II)]

I. *Short Title and Commencement* :

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1997 (II) [MIS '97 (II)].

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st July 1997 to 30th June 2002.

(3) Units will be on sale from 24th April, 1997 to 07th June, 1997 for 45 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. *Definitions* :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :—

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or re-purchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on the OTCEI.

(g) "Member" used as an expression under the scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian orgin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(l) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(m) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time,

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the Over The Counter Exchange of India (OTCEI) after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the schemes and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa. The other provisions of the scheme are available from page No. 13 to page No. 19.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME PLAN 1997 (II) [MIP '97 (II)] FORMULATED UNDER THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (II) [MIS '97 (II)] ARE GIVEN HEREAFTER

I. *Definitions* :

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. *Face vaule of each unit* :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. *Application for units* :

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or with two other individuals on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956 and Banks.

(h) Hindu Undivided Family.

(i) Army/Navy/Air Force Paramiltary Funds.

Non-Residents On fully repatriable basis by

(a) Non-resident adult individuals either singly or with two other individuals on joint basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. *Minimum amount of investment* :

Application shall be made for a minimum of Rs. 2000/- under both the options—Monthly & Capital Growth. There will be no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. *Minimum target amount to be raised*

Amount of Rs. 100 crores is targeted to the raised under the scheme. Over subscription, if any, will be retained by the Trust in full.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 100 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. *Limitation on expenses* :

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Secheme are estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees & Custodial Fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as unnder :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average monthly net assets—2.25%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets—2.00%

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets—1.75%

(iv) On the balance of the assets—1.50%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year. UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

VII. *Mode of Payment* .

(1) (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who wishes to apply from place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10, 000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, object to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amounts shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) *Mode of investment with repatriation benefits* :

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned therein and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) *Mode of investment without repatriation benefits*:

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A. D. M. A. series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if they desire remittance of dividend on units.

(2) (a) *Right of the Trust to accept or reject application* :

The Trust shall have the right to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue

of units in the following circumstances : (i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 2000/-, (ii) the application has not been signed by the first applicant and (iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) *Incomplete Application Liable For Rejection* In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) *Application to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units* :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. *Sale of Units* :

The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at his option. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. *Repurchase of units* :

(1) Repurchases under the plan will commence after three years from the date of commencement of the plan i.e. from 1st July, 2000 under both the options. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of death claim cases. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be issued to the press for publication six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-01-1998 and on a quarterly basis thereafter till 30-06-2000. From 01-07-2000 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. On maturity of the scheme, it is guaranteed that the repurchase price will not be less than the par value of units i.e. Rs. 10/-. However there is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price will depend on NAV.

Further, as a portion of the investments will be made in equities, there is scope for capital appreciation.

(2) *Monthly Income option*

The Trust will offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-01-98 and on a quarterly basis thereafter till 30-06-2000. From 01-07-2000 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address/Unit Certificates duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 2000/- (face value). The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unencashed Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificates and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificates, the request letter for repurchase and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of settlement of the claim.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of application at the centre where the repurchase requests are processed.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) *Capital Growth Option*

The Trust shall in case of units issued under Capital Growth Option offer to repuchase the units after three years from the date of commencement of the scheme and the plan made thereunder i.e. from 1st July 2000. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Partial repurchase will be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 2000/- (face value)

(8) In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/ by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for crediting the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

X. *Restrictions on repurchase of Units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation : For the purpose of this Scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. *Listing* :

The units issued under the scheme shall be listed on OTCEI within six months from the date of closure of subscription. An application for listing shall be made to OTCEI immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XII. *Membership Advice/Units Certificate* :

The Trust shall issue Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at the option of the member.

A unit certificate is transferable while a membership advice is not. Both are however equally valid evidence of admission of the investor into the plan. Investors may choose to receive either a membership advice or a unit certificate by ticking at the appropriate place in the application form. Generally investors who may wish to transact in the stock exchange on listing the scheme may opt for unit certificate. However if no preference is indicated in the application form the investor will be sent a membership advice.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Membership Advice/Unit Certificates :

(a) At the applicants Indian/Foreign address
OR

(b) At the applicant's relative's address in India.

XIII. *Manner of preparation of Membership Advice and Unit Certificate* :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. Unit certificates shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIV. *Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when Advice/Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc.* :

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss theft or destruction of the original unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

Not withstanding the above, the member under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XVI *Register of members* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members —

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and they shall be entered in the register *inter alia* :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice/Unit Certificates and the number of Units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any Unit.

XVI. *Application by and registration of eligible Institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.* :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application from without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another indivdual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVII. *Receipt by member to discharge Trust* :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. *Nomination by members* :

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicant can change the nomination at any time, during the currency of the plan.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XIX. *Death of a member* :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor(s) shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/Unit Certificates in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock-in-period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

(8) In case of death of non-resident member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee continues to be residing outside India/the legal heir(s) reside outside India. Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatriation out of India.

Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of the proceeds.

XX. *Income Distribution and capital growth option :*

The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income Option or the Capital Growth Option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

The return assured under the plan and the protection of capital invested on maturity are guaranteed by the Development Reserve Fund of the Trust.

The provisions of the scheme and the plan made thereunder will be applied to both the options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

(1) *Monthly Income Option*

Under this option, the Trust shall pay assured divided @ 14% p. a. for the five years of the plan by means of post-dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay dividend @ 14% p.a. payable monthly under the plan.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of dividend will be as follows :

24-04-1997	to 30-04-1997	Half month's dividend
01-05-1997	to 15-05-1997	Full month's dividend
16-05-1997	to 31-05-1997	Half month's dividend
01-06-1997	to 07-06-1997	Full month's dividend

(3) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period upto 30th September, 1997 (dated 1st August 1997) and 6 post-dated Income Distribution Warrants for the period October 1997 to March 1998 will be sent alongwith the Membership advice/unit certificates.

The Income Distribution Warrants for the subsequent years will be issued in the month of March/April every year depending upon changes in tax laws and sent in advance. The despatch of warrants for the subsequent year's will be as per the following schedule :

01-04-1998	to 31-03-1999	March-April 1998
01-04-1999	to 31-03-2000	March-April 1999
01-04-2000	to 31-03-2001	March-April 2000
01-04-2001	to 31-03-2002	March-April 2001
01-04-2002	to 30-06-2002	March-April 2002

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance. The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unencashed warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subseqnent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(7) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) *Capital Growth Option*

No dividend will be distributed under this option. Returns will be cumulated at the rate of 11.93% p. a. such that Rs. 2000/- invested under the option will become atleast Rs. 4012/- at the time of redemption after five years. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 14% p.a. upto 30th June 1997 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the unit certificates/membership advice.

An illustration to justify the return of 14% p.a. under the plan

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expenses are 3% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase starts after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs. 97 crores.

The Fund will invest 90% in debt instruments and 10% in Equity and Money Market Instruments.

The scheme will invest in debentures/bonds with risk profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 16.8% to 19.0%. This means the weighted average yield on debt instruments would be 17.75%.

The dividend yield, appreciation/depreciation on equity investment and yield on money market instruments will be around 8%.

Instrument	% of Portfolio	Investible funds	YTM(%)
Debentures/ Bonds	90	87.30	17.75
Equity/MMI	10	9.70	8.00

The weighted average yield of the portfolio = $\frac{87.3*17.75+91,70*8.0}{100.00}$ = 16.27%

Taking annual expenses as 1%, the income available for distribution would be 15.27%. This would be sufficient to pay dividend @ 14% p.a. payable monthly, annualised yield of 14.93%.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the plan.

Bank particulars of investors :

Electronic Clearing Service :

Recently Reserve Bank of India has introduced a new concept of Electronic Clearing Services (ECS) through the clearing house to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitate improved customer service. This is being introduced by the Trust mainly to help the small investors of the four Metros i.e. Calcutta/ Chennai/Mumbai/New Delhi, whose dividend income is less than Rs. 25,000/ vide one single instrument.

As per guidelines issued by RBI in this regard, the investor is required to give his mandate for ECS as per the format given in the application form with all the details completed therein. This will help the Trust to credit the dividend amount to investor's account with the concerned bank at the earliest and eliminate the work of printing and despatch of dividend warrants and serve him better. The bank branch will credit the member's account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of account. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch code no. etc. in the application form.

It is however not compulsory to avail of this facility.

In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reasons, instead of paying dividend under "ECS", the Trust may pay the dividend by issue of dividend warrant as mentioned above.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account and account number, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgment receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

Income Distribution to Non Resident Indian Investor :

Dividend under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of dividend is as follows :

(i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member.

OR

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (II) [MIS 1997 (II)] CONTINUED

III. *Valuation of assets pertaining to this Scheme :*

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates of valuation or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earnings and the book-value (break-up value) minus 10% or the book-value, whichever is lower.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Test.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ ex-rights dates.

(7) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rates relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(8) (a) investments in call money, bills held under bills rediscounting scheme, short term deposits with banks and repos with RBI are taken at cost.

(b) other money market instruments will be valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the trade which is not more than two working days will be considered valid. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument will be valued at cost plus difference between the face value and cost applied uniformly over the remaining maturity plus interest accrued till start of the day wherever applicable.

(9) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(10) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (9) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

IV. *Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV)*

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtractinig the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined separately for the Monthly Income Option and for the Capital Growth Option. The NAVs (on historic basis) shall be issued to the press for publication after six months from the commencement of the plan i.e. on 01-01-98 and on a monthly basis thereafter.

V. (a) *Investment Objectives*

Investment objectives of the Scheme is to primarily provide regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all Initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities and money market investments. The risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

(iii) Investments in money market instruments will be consistent with the guidelines issued by SEBI, if any, in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment could be varied at the discretion of the fund managed depending on the market conditions/the investment avenues available and the proportion of sales mobilised under the two options of the plan to the total sales under the plan.

Pending deployment of funds of the scheme in securities In terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) *Investment Policies*

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(i) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(a) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the mutual fund.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust on account of the scheme, wherever investments are intended to be of long term nature.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidaty needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or dividend to the members.

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high tech company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

(c) *However, notwithstanding anything contained in respect of clauses III, IV and V (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.*

(d) *Transfer of non-transferable assets to the plan* :

Investors of the New Seven Year Monthly Income Unit Scheme with Yearly Bonus and Growth 1990 [MISG 90] whose investments are maturing on 01-05-97 and 01-06-97 shall be allowed at their option to invest their redemption proceeds in this plan.

Notwithstanding anything contained in clause V (b) & (c), the scheme will hold non-transferable/unrated/unlisted assets whose unexpired life is shorter than the lock-in-period of 3 years to the extent funds are switched over to this plan and the quantum of such assets will in any case not exceed the funds that have been switched over into the plan.

Basis of transfer :

No non performing assets will be transferred to the plan.

Non-transferable/unquoted assets that may be transferred from the said schemes to this plan will be ascertained depending on the extent to which funds are switched over.

Valuation of assets :

Non-transferable assets will be valued at cost as per the policy laid down by the Board of Trustees. The valuation of other assets will be as per clause III of the scheme.

VI. *Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder* :

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice/Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VII. *Transfer/Pledge/Assignment of Units* :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other catagories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates and uncncashed warrants subsequent to and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificat, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificates may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificates and income distribution warrants (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue certificates and warrants.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificates alongwith dividend warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VIII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution* :

0.25% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research and development work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

IX. *Staff Welfare Trust Contribution* :

0.10% of monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and Revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly protfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. *Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust of fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the members is proposed to be carried out the consent of not less than three fourths of the members shall be obtained.

Provided that no such change shall be carried out unless three-fourths of the members have given their consent and the members who do not give their consent are allowed to redeem their holding in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of the scheme.

XII. *Termination of the Scheme and Plan made thereunder* :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 30-6-2002, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th June, 2002 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up, or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall :—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(f) (i) The Board of Trustees of the person authorised under sub clause (e) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value of as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice Unit Certificate the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) *In case of non resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below* :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India.

XIII. *Power to construe provisions* :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. *Relaxation of provisions* :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. *Scheme and Plan made thereunder to be binding on members* :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. *Benefits to the members* :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Approval of members of the plan shall be sought in the following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the members; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the members of the plan;

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XI of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the plan or affect the interest of the members is proposed to be carried out unless the consent of not less than three-fourth of the members is obtained.

TAX GUIDE

Tax Concessions :

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including "MIP '97 (II)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA :

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MIP-97 (II) will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase/transfer/pledge after after three years from the date of allotment of the units.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust under monthly income option is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @ 15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents :

As per Finance Act, 1995, Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F No. 500/4/96-FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident members residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO account.

No deduction of tax

Residents :

Member (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the assessment year will be nil. The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Section 11 or 12 or 10 (22) or 10 (22A) or 10 (23) or 10 (23AA) or 10 (23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the formate provided in the application form.

Non-Residents :

In case of Non-Residents, if Units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income Tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of dividend.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/ gift tax/ capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIs are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permissions.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Fnds/Plans of the Trust.

Auditors :

M/s. S. K. Kapoor & Co. 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints :

Complaints received, redressed and pending for the period 01-02-96 to 31-01-97 are given in Annexure I.

ANNEXURE I

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	2553	2428	125	4.90%
CGGF	18132	17704	428	2.36%
CGS-83	16848	16449	399	2.37%

1	2	3	4	5
CGUS-91	4795	4722	73	1.52%
CRTS	184	140	44	23.91%
DIUP-93	414	403	11	2.66%
DIUP-95	967	947	20	2.07%
DIUS -90	1829	1806	23	1.26%
DIUS-91	3671	3620	51	1.39%
DIUS-92	2218	2101	27	1.22%
EOF	760	757	3	0.39%
GCG1	10784	10579	205	1.90%
GMIS-91	13165	10880	2285	17.36%
GMIS-92 .	3209	2984	225	7.01%
GMIS-92(II)	788	776	12	1.52%
GMIS B-92 .	254	250	4	1.57%
GMIS-B-92(II)	2136	2074	62	2.90%
Grandmaster-93	829	807	22	2.65%
Grihalakshmi U.P. . .	1493	1447	46	3.08%
HOUSING UNIT SCHEME	248	210	38	15.32%
IISFUS	4	4	0	0.00%
MASTERGAIN-92 .	43608	41992	1616	3.71%
MASTERGROWTH-93	2314	2226	88	3.80%
MASTERPLUS-91	10612	10527	85	0.80%
MASTERSHARE-86	15801	14462	1339	8.47%
MEP-91	4401	4105	206	4.68%
MEP-92	36357	34932	1425	3.92%
MEP-93	24484	23747	737	3.01%
MEP-94	8229	8147	82	1.00%
MEP-95	13549	13,384	165	1.22%
MEP-96	4351	4307	44	1.01%
MIP-93	2422	2399	23	0.95%
MIP-94(I)	2454	2313	141	5.75%
MIP-94(II)	4247	4146	101	2.38%
MIP-94(III)	6459	6171	288	4.46%
MIP-95	3230	3144	86	2.66%
MIP-95(II)	4101	3770	331	8.07%
MIP-95(III)	3040	2913	127	4.18%
MIP-96 .	2431	2391	40	1.65%
MIP-96(II)	2845	2782	63	2.21%
MIP-96(III)	2770	2414	300	12.00%
MIP-96(IV)	347	337	10	2.88%
MIS-B-93 .	3992	3890	102	2.56%
MISG-90(I)	218	173	45	20.64%
MISG-90(II)	1708	1665	43	2.52%
MISG-91	2265	2219	46	2.03%
OMNI-PLAN	44	36	8	18.18%
PRIMARY EQUITY FUND	442	334	108	24.43%
RAJLAKSHMI U.P.	7689	7332	357	4.64%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2292	2219	73	3.18%
SENIOR CITIZEN U.P.	1161	1106	55	4.74%
UGS-2000	10857	9674	1183	10.90%
UGS-5000.	5966	5767	199	3.34%
ULIP	12369	11134	1235	9.98%
US-64	180943	166153	14790	8.17%
US-92	7358	7355	3	0.04%
TOTAL	**520637**	**490934**	**29703**	**5.71%**

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 00.
Tel : 2180172/2181600.

EASTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel : 2434581

SOUTHERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001
Tel : 517101 Ext. 360/364.

NORTHERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel : 3329860

Registrars

UTI Investors' Services Limited have been appointed to work as Regisrtars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms and repurchase requests, despatch of Membership Advice/Unit Certificates and dividend warrants within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from the four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai-400 059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P. B No. 60, Calcutta-700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Chennai-600 001.

North Zone : Tej Building, 3rd Floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
* Copy of Offer Document of MIP97(II).

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP' 96	MIP' 96(II)	MIP' 96(III)	MIP'96(IV)	MIP' 97
Date of Commencement.	01-05-1996	01-07-1996	01-10-1996	01-01-1997	01-05-1997
Date of Termination	30-04-2001	30-06-2001	30-09-2001	31-12-2001	30-04-2002
Monthly Dividend	14.5% p.a. for the first year.	15% p.a. for the first year.	15% p.a. for the first year.	15% p.a. for the first year.	14% p.a. for five years.
Cumulative Option	—	—	—	—	Rs. 2,000/- becomes atleast Rs. 4,012/-.
Amount Collected	Rs. 229.05 Cr.	Rs. 371.27 Cr.	Rs. 376.08 Cr.	Rs. 827.38 Cr.	*Rs. 1013.43 Cr
No. of Applicants	97,008	1,50,967	1,37,819	3,26,839	*2,67,243

*As on 09-04-1997.

Table

Sl. No.	Plans	Annual Dividend Paid/Payable Monthly	Capital Appreciation(%) on maturity Assured	Actual	Bonus (%) Paid/Payable
1	2	3	4	5	6
Schemes Matured					
1.	MIS-1	12% p.a.	—	6	—
2.	MIS-2	12% p.a.	—	7	—
3.	MIS-3	12% p.a.	—	8	—
4.	MIS-4	12% p.a.	—	8	—
5.	MIS-5	12% p.a.	2	10	—
6.	MI -6	12% p.a.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12% p.a.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12% p.a.	2	7	1.5
9.	MIT-9	12% p.a.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12% p.a.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12% p.a.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12% p.a.	2	28	2.25
13.	MIS-13	12% p.a.	2	40	3.00
14.	GMIS'92	Do.	Do.	7.6	—
Schemes in Operation					
15.	MISG-90	12% p.a.		8	1% payable at the end of each year.
16.	MISG'90(II)	13% p.a.			2% declared at the end of 3rd year and addl. 2% bonus declared at the end of 5th year.
17.	MISG'91	13% p.a.			3% declared at the end of 3rd year. Addl. bonus dividend of 3% will be paid after 5th year.
18.	GMIS'91	14.5% p.a. for the first 3 years & 15% p.a. for the last 2 years.	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option cumulation option.	3.7 1.7	
Rolled over upto 31-12-2001					
19.	GMIS'92(II)	Do.	Do.	—	—
20.	GMIS'B-92	Do.	Do.	—	2% bonus dividend declared & is payable on maturity.

1	2	3	4	5	6
21.	GMISB-92 (II)	14% p.a. for the first 2 years and 14.5 % p.a. for the last 3 years	Do.		2% declsred at the end of 3rd year and will be paid on maturity
22.	MISB-93	14% p.a.	Do.		Nil bonus declared at the end of 3rd year
23.	MIP-93	13.5% p.a.	Do.		Nil Bonus declared at the end of 2nd year. Bonus may be declared at the end of 4th year and shall be payable on maturity
24.	MIP-94	13% p.a. for the first 2 years i.e. upto Feb.-96 & @ 13.5% p.a. under the monthly income option & 14% p.a. under comulative option for the period 1-3-96 to 28-2-98			
25.	MIP-94 (II)	13% p.a. payable monthly for first 2 yrars 14% p.a. payable monthly for next 2 years			
26.	MIP-94 (III)	12% p.a. for the first year & 13 % p.a. payable for the second year*			
	13% p.a. for the period Ist January, 1997 to 31st. March, 1997 13% for 1-4-1997 to 31-3-1998.				
27.	MIP-95	13% p.a. for the first year* & 14% p.a. for the second year			
	14% for 1-7-1997 to 31-3-1998				
28.	MIP-95 (II)	13.5% p.a. for the first year & 14% p.a. for the second year*			
	14% dfor 1-4-1997 to 31-3-1998				
29.	MIP-95 (III)	14% p.a. for the first year*			
	14% for the period 1st January, 1997 to 31st. March, 1997 14% for 1-4-1997 to 31-3-1998				
30.	MIP-96	14.5% p.a. for the first year*			
	14.5% for 1-5-1997 to 31-3-1998				

1	2	3	4	5	6
31.	MIP-96 (II)	15% p.a. for the first year*	—	—	—
	15% for 1-7-1997 to 31-3-1998				
32.	MIP-96(III)	15% p.a. for the first year*	—	—	—
	15% for 1-10-1997 to 31-3-1998				
33.	MIP-96 (IV)	15% p.a. for the first year*	—	—	—
	15% for 1-1-198 to 31-3-1998				
34.	MIP-97	14% p.a. for all the five years.	—	—	—

*Dividened rate for the subsequent years will be announced at/before the end of preceding years.

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

Historical Statistics		1993-94						
		MIS Pool	MISG 90 Pool	GMIS Pool	GMISB 92 Pool	MISB 93 Pool	MIP 94	MIP 94(ii)
(A)	Net Asset Value, per unit	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10
(B)	Gross income per unit broken up into:							
	(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55	0.03
	(ii) Income from profitf on inter-scheme sales/transfer of investment, per unit	3.26	0.00	0.35	0.00	0.10	0.00	0.00
	(iii) Income from profit on sale on investment to third party, per unit	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	0.00	0.00
	(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	—	—	—	—	—	—	—
(C)	Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit:	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04
(D)	Net income, per unit:	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97		0.02
(E)	Unrealised appreciation/ depreciation in value of investments, per unit:	—0.12	0.80	1.71	1.00	0.86	0.04	0.09
(F)	Market price							
	Highest	—	—	—	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—	—	—	—
	Repurchase Price							
	Highest	—	—	—	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—	—	—	—
	Sale price	—	—	—	—	—	—	—
	Highest	—	—	—	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—	—	—	—
	PE Ratio	—	—	—	—	—	—	—
(G)	Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage:	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57	0.35
(H)	Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	5.45	1.42
(I)	Per unit NAV	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS		1994-95							
		MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMISB 92 POOL	MISB 93 POOL	MIP 94	MIP 94(II)	MIP 94 (III)	MIP 95
(A)	Net Asset Value, per unit	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
(B)	Gross Income per unit broken up into ;								
	(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.40	1.72	1.64	1.34	0.96	0.67	0.17	0.06
	(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	—	0.03	0.17	0.08	—	—	0.03	—
	(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.04	0.05	—	—	0.01	0.01	0.03	—
	(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit								
(C)	Aggregate of expenses, write of, amortisation and charges, per unit	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
(D)	Net income, per unit	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	0.10	0.05
(E)	Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	0.25	1.00	0.05	0.27	—0.42	—0.40	—0.44	—0.02
(F)	Market price ;								
	Highest								
	Lowest ;								
	Repurchase price ;								
	Highest								
	Lowest								
	Sale price ;								
	Highest								
	Lowest								
	PE Ratio								
(G)	Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.46	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
(H)	Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue acount from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	15.49	21.51	16.06	15.47	9.73	2.84	2.87	0.42
(I)	Per unit NAV	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	1995-96											
	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMISB 92 POOL	MISB 93 POOL	MIP 94	MIP 94(II)	MIP 94(III)	MIP 95	MIP 95(II)	MIP 95(III)	MIP 96	MIP 96(II)
(A) Net Asset Value, per unit	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.29	9.96
(B) Gross income per unit broken up into :												
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.40	1.74	1.65	1.45	1.60	1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
(ii) Income from profit on inter scheme sales/ transfer of investment, per unit	—	0.05	0.10	0.02	0.11	0.01	0.02	—	—	0.01	0.01	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party per unit	0.06	0.51	0.12	0.03	0.08	0.06	0.03	0.02	0.11	0.02		
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit			0.04		0.01							
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges per unit	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
(D) Ne income, per unit;	1.43	2.22	1.84	1.43	1.70	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments per unit	0.26	0.72	0.41	0.40	0.39	0.42	0.49	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07
F) Market price ;												
Highest												
Lowest												
Repurchase price ;												
Highest												
Lowest												
Sale price												
Highest												
Lowest												
PE Ratio												
G) Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.34	0.54	0.60	0.60	0.80	0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
H) Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	15.82	22.39	19.30	17.09	17.55	12.61	13.06	14.33	16.97	15.21	6.89	1.16
I) Per unit NAV	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.96	10.29	9.96

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	01-07-96 TO 31-12-1996													
	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMISB 92 POOL	MISB 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95	MIP 95 (II)	MIP 95 (III)	MIP 96	MIP 96 (II)	MIP 96 (III)	MIP 96 (IV)
(A) Net Asset Value, per unit	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09
(B) Gross income per unit broken up into ;														
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	0.69	1.67	0.84	0.62	0.47	0.41	0.41	0.72	0.74	0.72	0.66	0.51	0.31	0.10
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment per unit	—	0.30	0.01	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.01	0.34	—	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	—	—
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	0.04		0.05		0.10	0.17	0.13							
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.01
(D) Net income, per unit	0.71	2.24	0.86	0.59	0.55	0.58	0.54	0.67	0.72	0.73	0.61	0.44	0.27	0.08
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	0.01	0.09	0.02	0.05	0.58	0.70	0.74	—	0.44	0.50	0.43	0.44	0.27	—
(F) Market price ;														
Highest														
Lowest														
Repurchase price ;														
Highest														
Lowest														
Sale Price ;														
Highest														
Lowest														
PE Ratio														
(G) Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.21	0.54	0.29	0.30	0.35	0.35	0.34	0.29	0.44	0.45	0.51	0.50	0.37	0.15
(H) Per unit ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	6.78	18.24	7.63	5.69	5.84	6.39	6.04	6.81	11.18	10.56	9.54	8.70	11.52	2.06
(I) Per unit NAV	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400020, Tel. 206 8468

ZONAL OFFICE

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600/218 1254. *Eastern Zone* : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391/220 5322. *Southern Zone* : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. 517 101. *Northern Zone* : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860/332 9858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE
MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Commerce Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600/218 0057

BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Marg, Ahmedabad-380 009. Tel. : 6423043. *Baroda* : 'Meghdhanush', 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Marg; Baroda-390 015. Tel. : 332 481. *Bhopal* : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. *Indore* : City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Marg, Indore-452-452 001. Tel. : 22796. *Mumbai* : (1) Unit No. 2 Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703, Tel. : 767 2607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020, Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade. 1st Floor, S.V. Marg, Borivilli (W), Mumbai-400 092. Tel : 802 0521. (5) Sagar Bonanza, 1st Floor Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 5162256, Kolhapur ; Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel : 657 315. *Nagpur* : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. *Nasik* : Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Marg, Nasik-422 001, Tel. : 72166. *Panaji* : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222 472. *Pune* : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954. *Rajkot* : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. *Surat* : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 434 550. *Thane* : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel. : 54408. *Allahabad* : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel. : 50521. *Amritsar* : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor, Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel. : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC, Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 543 683. *Dehradun* : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Marg, Dehradun-248 001. Tel. : 26720. *Faridabad* : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 2100 010. *Ghaziabad* : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel. : 752040. *Jaipur* : Anand Bhavan, 3rd Floor, Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. *Kanpur* : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. *Lucknow* : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 232 501. *Ludhiana* : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 400 373, *New Delhi* : Gulab Bhavan, 2nd Floor, 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110 002, Tel. : 331 8638. *Shimla* : 3, Mall Marg, 1st Floor, Above Jankidas & Co. Dept. Store, Shimla-171 002. Tel. : 4203. *Varanasi* : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathayatra, Varanasi-221 001. Tel. : 54306.

BRANCH OFFICE UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Marg, Bangalore-560 009. Tel. 226 3739. *Cochin* : Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. *Coimbatore* : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel. : 214 973. *Hubli* : Kaburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel. : 363 963. *Hyderabad* : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001, Tel. : 511 095. *Madras* : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001, Tel. : 517 101. *Madurai* : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thiruparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel. : 38186. *Mangalore* : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal Mata Marg, Mangalore-575 001. Tel. : 426 258. *Thiruvananthapuram* : Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331 415. *Trichy* : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 27060. *Trichur* : 28/876/77 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331 259. *Vijaywada* : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. *Visakhapatnam* : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Marg, Dwarkanager, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548 121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Near Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. *Calcutta* : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. *Durgapur* : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 4831. *Guwahati* : Jeevan Deep, M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543 131. *Jamshedpur* : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. *Patna* : Jeevan Deep Bldg., Ground & 5th Floor, Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. *Siliguri* : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel. : 24671.

The 19th May 1997

No. UT/DBDM/R-1025/SPD-89B/96-97.—The Offer Document of the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS '97) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved in the Executive Committee meeting held on 12th March, 1997 are published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1997 (IISFUS '97)

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM THE 15TH APRIL, TO 29TH MAY 1997

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India, Act, 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, and the units offered for subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

OBJECTIVE OF THE SCHEME

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit at NAV based price. The scheme is for Institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive scheme.

HIGHLIGHTS

Minimum investment is Rupees Ten Lakhs with no maximum limit. Face value of units is Rs. 10/-.

Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860. Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act, Army/Air Force/Navy/Paramilitary Fund, Any other institution/Corporate Body (including companies), Public Sector Undertakings, Regional Rural Banks, Urban Co-operative Banks and Other Commercial banks.

The Trust shall pay an assured dividend @ 15% p.a. payable annually for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same will be met out of the Development Reserve Fund.

Option for re-investment of dividend at the prevailing NAV (without any sales load).

The units of the scheme shall be listed on OTCEI within six months from the date of commencement of the scheme.

Repurchase allowed after three years from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st July 2000 at NAV based price.

It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases, and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

Capital gains tax exemption under section 54E A of the Income Tax Act, 1961.

RISK FACTORS

There is no guarantee that capital will be protected for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

Investments in units of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on inflow of market forces on the schemes portfolio.

Performance of the previous schemes/plans of the Trust is not necessarily an indication of future results.

Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1997 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

The Trust has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of Rs. 56,620 crores from over 50 million investors.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. The Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Shri G. P. Gupta—Chairman, Unit Trust of India.
2. Dr. P. J. Nayak—Executive Trustee, Unit Trust of India.
3. Shri R. V. Gupta—Deputy Governor, Reserve Bank of India.
4. Shri S. H. Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N. S. Sekhasaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Dr. Arvind Virmani—Advisor, Policy Planning, Govt. of India, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance.
7. Shri P. R. Khanna—Chartered Accountant.
8. Shri N. M. Govardhan—Chairman, Life Insurance Corporation of India.
9. Shri P. G. Kakodkar—*Chairman, S.B.I.
10. Shri N. Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.
11. Shri Rashid Jilani—Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

*His term expired on 31st March, 1997.

THE DETAILED FEATURES OF THE SCHEMES ARE AS GIVEN BELOW:

I. *Short title and commencement* :

(i) This Scheme shall be called the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS '97).

(ii) It shall come into force on the 15th day of April, 1997.

(iii) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st July 1997 to 30th June 2002.

(iv) Units will be on sale from 15th April 1997 to 29th May 1997 for 45 days. Provided however that the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. *Definitions* :

In this Scheme, unless the context otherwise requires :

(1) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same ;

(2) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) ;

(3) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme ;

(4) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964 ;

(5) "Listed" means the listing of the units issued under the scheme for the purpose of trading on the OTCEI.

(6) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding ;

(7) "Person" shall include an eligible trust as defined above ;

(8) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act ;

(9) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) ;

(10) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(11) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act;

(12) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations

III. *Face value of each unit* :

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. *Application for units* :

(1) Applications for units under this Scheme may be made by :

(i) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(ii) Societies registered under Societies Registration Act, 1860.

(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act.

(iv) Army/Air force/Navy/Paramilitary Fund:

(v) Any other Institution/Corporate body including companies.

(vi) Public Sector Undertakings.

(vii) Regional Rural Banks and Urban Co-operative banks.

(viii) Other Commercial banks.

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(3) Eligible Institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

V. *Minimum amount of investment* :

The minimum investment under the scheme is Rupees Ten lakhs with no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./ G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

VI. *Mode of Payment* :

1. (i) All payments shall be made by the applicant alongwith the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realising the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks within the city where the branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If payment is made by cheque, the acceptance date will be the date of realisation of the cheque. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within 10 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered is not sufficient to cover the minimum amount payable under the scheme and other charges payable, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

2. (a) *Right of the Trust to accept or reject application* : The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(b) *Incomplete Application liable for rejection* : In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

3. *Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units* : Institutions applying for units under the scheme shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Bye-laws and resolution by the Managing Committee etc. in case of application by societies etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

An institution who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name, deleted from the register of Unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. *Minimum target amount to be raised* :

Amount of Rs. 20 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust. The Trust shall by A/c. payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest @ 15% p.a. on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme.

VIII. *Limitation on Expenses* :

Initial issue expenses may not exceed 3.5% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under :

Expense head	%
Printing and postage	0.75%
Publicity	0.75%
Marketing expenses	1.00%
Stamp fees & Custodial Fees	0.50%
Processing charges	0.50%
Total	3.50%

Thus for every rupee invested by an investor not less than 96.5 paise will be invested in the scheme.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2% of the average

weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expense head	%
Administrative Expenses	0.90%
Custodial Fees	0.50%
Development Reserve Fund	0.25%
Staff Welfare Trust	0.10%
Audit Fees, Fees & Expenses of Trustees, Brokerage & Transaction cost etc.	0.25%
Total	2.00%

The above expenses are estimates and are subject to change inter-se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 400 crores of the average weekly net assets—2.00%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—1.75%.

(iii) On the balance of the assets—1.50%.

Expenses under the head 'Administrative expenses', 'Contribution to DRF' and 'Contribution to the Staff Welfare Trust' will be subject to the following namely: (i) One and a quarter of one per cent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the Scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and (ii) One per cent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores. UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

IX. *Sale of Units* :

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The Unit Trust shall thereafter issue Unit Certificates in lots of 50,000 units each. For units not in multiples of 50,000 a single certificate shall be issued. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificates, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust/Society/Body Corporate shall be made out in the name of such Trust/Society/Body Corporate.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificates as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

X. *Repurchase of units* :

(1) (i) There shall be no repurchase of units during the first three years of the scheme i.e. upto 30th June 2000. Repurchase price shall be at a discount not exceeding 5% to the historic weekly NAV. The repurchase price shall be declared once every week commencing from 01/07/2000. It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

Partial repurchase shall be allowed provided that the unitholder maintains a minimum balance of Rupees Ten Lakhs (face value).

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

(2) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in. Repurchase proceeds shall be despatched within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the Mumbai Main Branch Office of the Trust where the repurchase requests are processed and in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

XI. *Restriction on sale and repurchase of units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation : For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

XII. *Sale or repurchase to be as on the acceptance date* :

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XIII. *Publication of repurchase price* :

The Unit Trust shall, after the determination of the repurchase price, issue it to the press for publication on a weekly basis.

XIV. *Listing* :

The units issued under the scheme shall be listed on OTCEI within six months from the date of commencement of the scheme. An application for listing shall be made to OTCEI immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XV. *Valuation of assets pertaining to this Scheme* :

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates of valuation or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earnings and the book value (break-up value) minus 10% or the book-value, whichever is lower.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

(7) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rates relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(8) (a) investments in call money, bills held under bills rediscounting scheme, short term deposits with banks and repos with RBI are taken at cost.

(b) other money market instruments will be valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the trade which is not more than two working days will be considered valid. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument will be valued at cost plus difference between the face value and cost applied uniformly over the remaining maturity plus interest accrued till start of the day wherever applicable.

(9) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(10) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (9) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XVI. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV):

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication within 90 days from the commencement of the scheme and on a weekly basis thereafter.

XVII. (a) Investment Objectives :

Not more than 20% of the funds mobilised under the Scheme will be invested in equities and equity based instruments and the remaining in fixed income securities and money market instruments. Risk profile of fixed income securities will be low to medium. Risk profile of equity investments could be high.

Investments in money market instruments will be consistent with guidelines issued by SEBI in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment as indicated above could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions and the investment avenues available. Any variation in the proportion of investment shall be consistent with the investment objective of the scheme.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies :

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time.

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfer of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if :

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the schome to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another scheme/plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the mutual fund.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust on account of the scheme, wherever investments are intended to be of a long term nature.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or dividend to the unitholders. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net assets of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair, transparent and efficient services to suit investors requirments. Its registered office is at Mumbai.

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XV, XVI and XVII(b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XVIII. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XIX. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until

it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XX. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Unit Certificate.

Notwithstanding the above, the unitholder under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XXI. Register of unitholders :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register *inter alia* :

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in its name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that no less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any authorised representative of the unitholder, without charge and in connection with their own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive, and no lien shall be entered in the Register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXII. Receipt by unitholder to discharge Unit Trust :

The receipt of the unitholder for any moneys paid to it in respect of the units represented by the Unit Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

Transfer/pledge/assignment shall be allowed subject to the following terms :

(1) Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee having an investment of less than Rupees Ten Lakhs (face value) in the Scheme.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Transfer instruments with the relative Unit certificates shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(4) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative Unit Certificates and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificate(s) which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(5) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then the Trust, shall subject to production of such evidence which in its opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(6) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(7) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(8) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necessary keeping in view procedural and operational requirements.

(9) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Unit Certificate in the space provided for the purpose.

(10) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XXIV. *Application and transfer forms signed by attorneys* :

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the book of the Trust.

XXV. *Rate of Income distribution* :

The Trust proposes to pay an assured return of 15% p.a., for all the five years of the Plan. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same shall be met out of Development Reserve Fund. The dividend for the first year will be calculated on a day to day basis depending on the date of acceptance and paid in July 1998. The dividend for the subsequent years will be paid in July each year.

XXVI. *Payment to unitholders* :

The Trust shall pay a dividend @ 15% p.a. for all the five years of the scheme. For the first year the dividend is payable on a pro rata basis in July 1998. The dividend for the subsequent years will be paid in July each year. Dividend warrants will be despatched within 42 days of closure of the year for which it is due.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would generate sufficient returns to pay the assured return of 15% for all the five years of the scheme.

Justification for the return of 15% p.a. under the scheme :

Instruments	Indicative proportion of investment (A)	Average yield (B)	Weighted average yield (A*B)
Debentures	0.50	18.00	16.20
Equity & Money Market	0.10	8.00	0.80

The weighted average yield of the porfolio is 17.00%. Taking annual expenses as 1%, the income available for distribution would be 16%. This would be sufficient to pay dividend @ 15% p.a.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the scheme.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation : The period specified in this sub-clause shall be extended :

(i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(ii) in case of delay in the loding of any Certificate and other documents relating to the trafisfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder.

(5) The income distributable among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trust's bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft, the charges for such bank draft being borne by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unitholder.

XXVII. *Reinvestment of income distribution in further units*:

The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units so held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income distributable instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXVI hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at NAV (without any sales load) prevailing in the first week of July. A statement detailing the dividend distributable, tax deducted, if any, and the units allotted in lieu thereof shall be forwarded to the unitholder. No unitholder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to its credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail of the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding, repurchase and other matters.

XXVIII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution* :

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Unit Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes innovation or new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research Management & Professional Training Surveys and Market Research for the Trust: Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any

specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

XXIX. *Staff Welfare Trust Contribution* :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust every year.

The Staff Welfare Trust was instituted by the Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XXX. *Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme.*

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units ; and the Trust may recognise such untholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or presented in the scheme.

XXXI. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of the date. The Trust shall furnish to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclousers to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XXXII. *Additions and Amendments to the Scheme* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out the consent of not less than three fourths of unitholders shall be obtained :

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the unitholders have given their consent and the unitholders who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of their clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of the scheme.

XXXIII. *Termination of the Scheme* :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 30th June 2002 the outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing, to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) the Trust may wind up the scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th June 2002 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(iii) if 75% of the unitholders pass a resolutoin that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall :—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme concerned in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f). (i) above, shall in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XXXIII (g), if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(j) Th Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other

procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XXXIV. *Benefits to the unitholders* :

All benefits accruing under the scheme in respect of the capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXXV. *Power to construe provisions* :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXVI. *Relaxation of provisions* :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax any of the provisions of the Scheme. Any such relaxation would not be contradictory to Clause XXXII and shall not be discriminatory and would apply to all unitholders on a uniform basis.

Any change in the offer document shall be made only with prior approval of SEBI.

XXXVII. *Scheme to be binding on Unitholders* :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through it as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

Approval of unitholders of the scheme shall be sought in the following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the unitholders; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three -fourths of the unitholders of the scheme.

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the unts; or

(iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XXXII of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out unless the consent of not less than three-fourth of the unitholders is obtained.

Rights of unitholders :

1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the dividend declared by the scheme.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.

3. The Unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

4. The Unitholders are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the closure of the year for which it is due.

5. Subject to conditions stated in Clause XXIII on Transfer/Pledge/Assignment of units the Trust shall register the transfer and return the unit certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit of certificates together-with the relevant instrument of transfer.

TAX GUIDE :

Tax Exemption

Under the present taxation laws in those cases where the investing institutions are :

(i) *Charitable and Religious Trust* :

(i) The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if it is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2) (b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A Charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exemption from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) *Any Regimental Fund referred to in Section 23 AA/ Other Institutions* : It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institution which are covered under Section 11 or 12 or 10(22 or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) o Income Tax Act, 1961 on the basis of a simpl declaration in the format provided in the applicatio form.

In respect of Institutions other than above deduc tion of Income tax at source from the income wil be in accordance with prevalent tax laws.

Wealth Tax

Financial Assets like shares and units of Un Trust of India and Mutual Funds are exclude for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE : In respect of Statutory Corporations viz. IDB and similar other organisations, the tax benefits exemptions under the Income Tax Act and Wealt Tax Act may be governed, inter alia, in accordanc with the provisions of their Special Act, If an governing them.

Any long term capital gains arising out of inves ment in the scheme will be subject to treatmen indicated under section 48 and 112 of the Incom Tax Act, 1961.

Capital Gains Tax Exemption under section 54EA

Investment of entire or part of net consideratio arising out of transfer of long term assets in IISFU '97 will be eligible for capital gains tax exemptio under Section 54 EA of the Income Tax Act, 196 subject to repurchase/transfer/pledge after thre years from the date of commencement of the sche me i.e. from 1st July 2000.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax are in conformity with the prevalent Income Tax Act.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideratoin. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Scheme/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints received, redressed and pending for the period 01-02-96 to 30-01-97 are given below :

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	2553	2428	125	4.90%
CGGF	18132	17704	428	2.36%
CGS-83	16848	16449	399	2.37%
CGUS-91	4795	4722	73	1.52%
CRTS	184	140	44	23.91%
DIUP-93	414	403	11	2.66%
DIUP-95	967	947	20	2.07%
DIUS-90	1829	1806	23	1.26%
DIUS-91	3671	3620	51	1.39%
DIUS-92	2218	2101	27	1.22%
EOF	760	757	3	0.39%
GCGI	10784	10579	205	1.90%
GMIS-91	13165	10880	2285	17.36%
GMIS-92	3209	2984	225	7.01%
GMIS-92(ii)	788	776	12	1.52%
GMIS-B-92	254	250	4	1.57%
GMIS-B-92(ii)	2136	2074	62	2.90%
GRANDMASTER-93	829	807	22	2.65%
GRIHALAKSHMI U.P.	1493	1447	46	3.08%
HOUSING UNIT SCHEME	248	210	38	15.32%
IISFUS	4	4	0	0.00%
MASTERGAIN-92	43608	41992	1616	3.71%
MASTERGROWTH-93	2314	2226	88	3.80%
MASTERPLUS-91	10612	10527	85	0.80%
MASTERSHARE-86	15801	14462	1339	8.47%
MEP-91	4401	4105	206	4.68%
MEP-92	36357	34932	1425	3.92%
MEP-93	24484	23747	737	3.01%
MEP-94	8229	8147	82	1.00%
MEP-95	13549	13384	165	1.22%
MEP-96	4351	4307	44	1.01%
MIP-93	2422	2399	23	0.95%
MIP-94(I)	2454	2313	141	5.75%
MIP-94(II)	4247	4146	101	2.38%
MIP-94(III)	6459	6171	288	4.46%
MIP-95	3230	3144	86	2.66%
MIP-95(II)	4101	3770	331	8.07%
MIP-95(III)	3040	2913	127	4.18%
MIP-96	2431	2391	40	1.65%
MIP-96(II)	2845	2782	63	2.21%

Scheme Name	No. of Complaints Received	Redressed	Pending	Pending to Total Recd.
MIP-96(III)	2770	2414	300	12.00%
MIP-96(IV)	347	337	10	2.88%
MIS-B-93	3992	3890	102	2.56%
MISG-90(I)	218	173	45	20.64%
MISG-90(II)	1708	1665	43	2.52%
MISG-91	2265	2219	46	2.03%
OMNI-PLAN	44	36	8	18.18%
PRIMARY EQUITY FUND	442	334	108	24.43%
RAJLAKSHMI U.P.	7689	7332	357	4.64%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2292	2219	73	3.18%
SENIOR CITIZEN U.P.	1161	1106	55	4.74%
UGS-2000	10857	9674	1183	10.90%
UGS-5000	5966	5767	199	3.34%
ULIP	12369	11134	1235	9.98%
US-64	180943	166153	14790	8.17%
US-92	7358	7355	3	0.04%
TOTAL	520637	490934	29703	5.71%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All Investors could refer their grievance giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre,
G. D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 218 0172/218 1600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001.
Tel : 243 4581.

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras-600 001.
Tel : 517101 Ext. 360/364.

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A. Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel : 332 9860.

Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Mumbai Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre-1, 29th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade Colaba, Mumbai-400 005. The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates, handling of after sales services within the prescribed time frame and also handling of investor complaints.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020.

—The UTI Act

—The General Regulations

—Agreement with the custodian.

—Copy of Offer Document of IISFUS '97

Details of Previous Institutional Investors' Special fund unit Schemes of UTI

Schemes	IISFUS'93	IISFUS'95	IISFUS'96
Date of commencement	01-03-1993	01-10-1995	01-01-1997
Date of Suspension of sales/termination	01-11-1993	30-09-2000	31-12-2001
Half yearly dividend (paid in July and January)	16% p.a.	15% p.a. (for the first year)	16% p.a. (for the first year)
Amount Collected	1276.87 Cr.	177.70 Cr.	196.35 Cr.
No. of Applications	518	292	247

HISTORICAL DATA

Historical Statistics	1993-94	1994-95	1995-96		31-12-1996		
	IISF '93	IISF '93	IISF '93	IISF '95	IISF '93	IISF '95	IISF '96
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) Net Asset Value, per unit	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35
(B) Gross income per unit broken up into:							
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.11	1.27	1.51	1.33	0.46	0.68	0.10
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	0.46	0.36	0.01	0.06	0.13	0.00	0.00
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.03	0.10	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve, per unit	—	—	0.07	—	0.18	0.09	—
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.06	0.01	0.01	0.05	0.00	0.03	0.01
(D) Net income per unit:	1.55	1.71	1.61	1.42	0.77	0.74	0.09
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	0.30	—0.21	—0.11	0.73	—0.42	0.51	0.26
(F) Market price							
Highest	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—
Repurchase price							
Highest	—	—	10.50	—	10.40	10.85	—
Lowest	—	—	10.22	—	9.90	10.25	—
Sale price							
Highest	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—
PE Ratio	—	—	—	—	—	—	—
(G) Per Unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	—	0.28	0.10%
(H) Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	7.66%	11.53%	3.38%
(I) Per unit NAV	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020 Tel. 206 8488.

ZONAL OFFICES

Western Zone: Commerce Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005, Tel: 218 1600/218 1254. **Eastern Zone:** 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 091, Tel: 220 9391/220 5322. **Southern Zone:** UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel.; 517 101. **Northern Zone:** Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel.: 332 9860/332 9858.

BRANCH OFFICES UNDLR WESTERN ZONE

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Commerce Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel.: 218 1600/218 0057

BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad: B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Marg, Ahmedabad-380 009. Tel.: 642 3043. **Baroda:** 'Meghdhanush', 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel.: 332 481. **Bhopal:** Ist Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001, T l.; 558 308. **Indore:** City C ntre, 2nd Floor, 570, M.G. Marg, Indore-552 001, Tel.: 22796. **Mumbai:** (1) Unit

No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049, Tel.: 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703, Tel.: 767 2607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel.: 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel.: 802 0521. (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel.: 516 2256. **Kolhapur:** Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel.: 657315 **Nagpur:** Shree Mohini Complex, 3rd Floor 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel: 536 893. **Nasik:** Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Marg, Nasik-422 001. Tel.: 72166. **Panaji:** E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel.: 222 472. **Pune:** Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel: 325 954. **Rajkot:** Lalbhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel.: 35112. **Surat:** Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel: 434 550. **Thane:** UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel.: 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra: Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel.: 54408. **Allahabad:** Jeevan Tower, 3rd Floor, 53, Leader Marg, Allahabad 211 003. Tel.: 50521. **Amritsar:** Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel.: 210367. **Chandigarh:** Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel.: 543 683. **Dehradun:** 2nd Floor, 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel.: 26720. **Faridabad:** B-614-617, Nehru Ground, N.I.T. Faridabad-121 001. Tel.: 210010 **Ghaziabad:** 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel.: 752040. **Jaipur:** Anand Bhavan, 3rd Floor, Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel.: 365 212. **Kanpur:** 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel: 317 278. **Lucknow:** Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel.: 232 501. **Ludhiana:** Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel.: 400 373. **New Delhi:** Gulab Bhavan, 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel.: 331 8638. **Shimla:** 3, Mall Marg, 1st Floor, Above Jankidas & Co. Dept. Store, Shimla-171 002, Tel.: 4203. **Varanasi:** 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market, Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel.: 54306.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore: World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Marg, Bangalore-560 009. Tel.: 226 3739. **Cochin:** Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel.: 362 354. **Coimbatore:** Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel.: 214973. **Hubli:** Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel.: 363 963. **Hyderabad:** 1st Floor Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel.: 511 095. **Madras:** UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel.: 517 101. **Madurai:** Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg. 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel.: 38186. **Mangalore:** Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel.: 426 258. **Thiruvananthapuram:** Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Mary, Thiruvananthapuram-695 001. Tel.: 331 415. **Trichy:** 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel.: 27060. **Trichur:** 28/876/17 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel.: 331 259. **Vijaywada:** 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520002. Tel.: 74434. **Vishakhapatnam:** Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel.: 548 121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar: OCHC Bldg., 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Near Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel.: 410 995. **Calcutta:** 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel.: 220 9391. **Durgapur:** 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel.: 4831. **Guwahati:** Jeevan Deep, M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel.: 543 131. **Jamshedpur:** 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel.: 425 508. **Patna:** Jeevan Deep Bldg., Ground & 5th Floor, Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel.: 235 001. **Siliguri:** Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel.: 24671.

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT.

CORRIGENDUM

No. Wakf/45/Gen/pub/Corrigendum/504/97.—The following corrigendum is to be published in respect of Wakf properties which has been published in the Govt. of India Gazette, Part III—Section 4 dated 29-5-71, in respect of District Patiala owing to printing mistake.

S. No.	Sr. No. of the Gazette	Page No. of Gazette	Sr. No. of Gazette with date	Distt./Tehsil	Village.	Amendment
1	2	3	4	5	6	7
1.	1286	1633	22/29-5-71	Patiala/Patiala	Patiala	In col. No. 5&6 instead of Kh. No. 2000/224 Min area 6B—0B may be read as Kh. No. 2000/224 are 11B—14B

Sd/- ILLEGIBLE
Acting Secretary
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997